

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

56वीं बोर्ड बैठक

विचाराधीन विषयों
की सूची

दिनांक : 15-02-2019

समय : 12.00 बजे

स्थान : सर्किट हाऊस, सहारनपुर।

एजेन्डा नोट

अनुपूरक एजण्डा आईटम संख्या : 56/01

विषय: प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को सी0यू0जी0 मोबाईल फोन के बिल की सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों व कर्मचारियों के आपसी समन्वय एवं अधिकारियों के सम्पर्क में रहने के दृष्टिगत मोबाइल की सुविधा प्रदान की गयी है। इस सुविधा के अन्तर्गत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा सिम उपलब्ध कराये गये हैं। जिस पर होने वाले व्यय की वर्तमान सीमा अधिकतम रू0 300/- है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल सेवा प्रदान किये जाने स्वीकृति प्राधिकरण की 34वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 33/6 पर एवं अधिकतम रू0 300/- की व्यय सीमा की 43वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 43/7 में प्रदान की गयी है (फोटोप्रति संलग्न) वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा उक्त सेवा एयरटेल कम्पनी से ली जा रही है। जिसमें रू0 299/- प्रतिमाह का प्लान तथा 18% जी0एस0टी0 अलग से देय है। जोकि जी0एस0टी0 जोड़ने के उपरान्त रू0 353/- प्रतिमाह आता है। वर्तमान में पूर्व स्वीकृति के अनुसार रू0 300/- प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जा रहा है व रू0 53/- का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से कटौती करते हुए किया जा रहा है। इसी क्रम में सभी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा मोबाइल सेवा का पूर्ण भुगतान प्राधिकरण स्तर से ही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को सी0यू0जी0 मोबाईल फोन की प्रदत्त सेवाओं के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित व्यय धनराशि रू0 300/- को परिवर्तित करते हुए रू0 400/- तक की सीमा किये जाने के संबंध में प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विषय सूची

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
56/01	दिनांक 22-09-2018 को सम्पन्न हुई 55वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1 - 7
56/02	दिनांक 22-09-2018 को सम्पन्न हुई 55वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	8 - 9
56/03	सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम दरा शिवपुरी स्वाद बैरून की अर्बन सीलिंग की खसरा संख्या 24मि०, 25मि०, 20मि० का कुल रकबा 4369.44 वर्गमी० प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि पर नियोजन उपरान्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	10
56/04	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति।	11 - 20
56/05	सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों/शमन मानचित्रों की स्वीकृति के अन्तर्गत जी०एस०टी० की धनराशि लिये जाने के संबंध में।	21 - 26
56/06	मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत प्लिनथ लेविल से ऊपर अपूर्ण अवस्था में पड़े भवनों को पूर्ण किये जाने के संबंध में।	27 - 35
56/07	सहारनपुर विकास क्षेत्र में नियोजित कालोनियों/तलपट मानचित्रों के भूखण्डों के आमेलन के सम्बन्ध में।	36 - 39
56/08	वित्तीय वर्ष 2018-19 का दिनांक 31.01.2019 तक वास्तविक आंकड़े वर्ष 2018-19 पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान की स्वीकृति के संबंध में।	40 - 76
56/09	सामुदायिक केन्द्र, हकीकत नगर में रस्म पगड़ी में शुल्क कम करने के संबंध में।	77 - 79
	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 56/01

विषय: दिनांक 22-09-2018 को सम्पन्न हुई 55वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति प्राधिकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक 22.09.2018 को सम्पन्न हुई सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त।
 उपस्थिति :-

1	श्री सी०पी० त्रिपाठी आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष
2	श्री आलोक कुमार पाण्डेय जिलाधिकारी सहारनपुर।	सदस्य
3	श्री सुखलाल भारती उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष
4	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह नगर आयुक्त नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य
5	श्री काली विभूति शुक्ला सहयुक्त नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।	सदस्य
6	श्री ए०के० राय, अपर निदेशक (कोषागार) प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।	सदस्य
7	श्री सूरजलाल, अधीक्षण अभियन्ता उ०प्र० जल निगम, निर्माण मण्डल, सहारनपुर।	सदस्य
8	श्री कर्मवीर सिंह, अधिसासी अभियन्ता प्रतिनिधि - अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सहा०	सदस्य
9	श्री रवीन्द्र गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमन्त्री
10	श्री कौशवेन्द्र कुमार गौतम, नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	विशेष आमन्त्री
11	श्री यादराम यादव, उपमहानिरीक्षक, निबन्धन सहारनपुर।	विशेष आमन्त्री

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/01

विषय: दिनांक 08-06-2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
गत बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/02

विषय: दिनांक 08-06-2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	अनुपालन आख्या
54/01	दिनांक 08.06.2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
54/02	दिनांक 08.06.2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या को अवलोकित किया गया।
54/03	परिचालन के माध्यम से समय-समय पर आहुत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि/अनुपालन आख्या।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
54/04	ग्राम दरा शिवपुरी स्वाद बैरून की अर्बन सीलिंग भूमि खसरा संख्या 24मि०, 25मि०, 20मि० व 21मि० का कुल रकबा 4369.44 वर्ग मी० भूमि जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को स्थानान्तरित है, में अन्य भूस्वामी श्रीमती कंचन जुनेजा की 142.18 वर्ग मी० भूमि को दूसरी तरफ खसरा सं० 21 से विनिमय करने हेतु।	मा० बोर्ड द्वारा गठित समिति की संयुक्त आख्या का अवलोकन करते हुए बैठक के एजेन्डा आईटम संख्या 55/03 पर प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निर्देशित किया गया।
54/05	"रणदीप सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट" स्थित ग्राम चुनैहटी गाड़ा, सहारनपुर के शमन मानचित्र संख्या 544/2009-10 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 895(1)/8-3-16-64 काम्प/16 दिनांक 18.07.2016 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2018 में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री काली विभूति शुक्ला, सहयुक्त नियोजक, मेरठ को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का सघनता से परीक्षण करते हुए अपने अभिमत/मनतव्य सहित आख्या शीघ्र प्रस्तुत करें। तदोपरान्त पूर्व में मा० बोर्ड द्वारा प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, अपर निदेशक(कोषागार) तथा प्राधिकरण के वित्त एवं लेखाधिकारी की गठित समिति से परीक्षण कराते हुए प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों एवं औचित्य सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त आख्या हेतु तिथि निर्धारित कर ली जाये।

-

4

54/06	मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत अधूरे पड़े भवनों के निर्माण का कार्य।	<p>इस सम्बन्ध में मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम मंवीकला में प्लिंथ लेवेल से ऊपर के 368 भवनों में से प्रथम फेस के अन्तर्गत 96 भवनों को पूर्ण कराये जाने तथा सम्पूर्ण पॉकेट के विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में आगणन तैयार कर लिये गये हैं, जिसे स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की अवस्थापना समिति की बैठक में पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत प्लिंथ लेवेल या प्लिंथ लेवेल से नीचे भौतिक प्रगति वाले आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी से इस भूमि का प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अभिलेखों में दर्ज करने हेतु अनुरोध किये जाने की अपेक्षा की गई है, जिससे अधूरे पड़े भवनों को पूर्ण कराकर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किया जा सके।</p> <p>उक्त के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि शासन के उक्त निर्देशानुसार जिलाधिकारी, सहारनपुर से अनुरोध कर लिया जाये तथा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की जाये जिसमें सहयुक्त नियोजक, मेरठ, सचिव, स0वि0प्रा0, अधीक्षण अभियन्ता, स0वि0प्रा0 सदस्य के रूप में सम्मिलित रहें।</p>
54/07	सहारनपुर विकास क्षेत्र में नियोजित कालोनियों/तलपट मानचित्रों के भूखण्डों के आमेलन के सम्बन्ध में।	<p>इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि गत बोर्ड बैठक दिनांक 08.06.2018 में मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु श्री कटियार, सहायक नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>आख्या अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।</p>

54/08	किसी परियोजना/कार्य में 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन की स्थिति में विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से कराये जाने के सम्बन्ध में।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
अनुपूरक एजेन्डा आईटम संख्या : 01	(मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) ग्राम छिदबना के खसरा नं0 578, 579 एवं 580 पर डा0 राजीव कुमार तिवारी द्वारा नर्सिंग होम के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र सं0 347/2016-17 पर सहारनपुर महायोजना 2021, जोनिंग रेगुलेशन एवं प्रचलित भवन उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुपालन अवशेष नहीं है।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/03

विषय : ग्राम दरा शिवपुरी स्वाद बैरून की अर्बन सीलिंग भूमि खसरा संख्या 24मि0, 25मि0, 20मि0 व 21मि0 का कुल रकबा 4369.44 वर्ग मी0 भूमि जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को स्थानान्तरित है, में अन्य भूस्वामी श्रीमती कंचन जुनेजा की 142.18 वर्ग मी0 भूमि को दूसरी तरफ खसरा सं0 21 से विनिमय करने हेतु।
मा0 बोर्ड द्वारा गत बैठक दिनांक 08.06.2018 में गठित समिति की संयुक्त आख्या के अवलोकनोपरान्त उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने की दृष्टि से अधिकतम एक माह के अन्दर पूर्ण करा लिया जाये। इसके उपरान्त शीघ्र ही नियोजन करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जाये।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/04

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अद्यतन स्थिति का अवलोकन करते हुए मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत अधूरे पड़े भवनों के निर्माण को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने के बिन्दु पर मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्लिंथ लेवल या प्लिंथ लेवल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराने, विकास कार्य तथा ग्राम दराअली स्वाद अन्दरून(नोन जैड0ए0), परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के खेवट संख्या 449, जो राजस्व अभिलेखानुसार "भारत सरकार" के नाम अंकित है, के कुल रकबा 4.722 हेक्टेयर भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित की जाये।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/05

विषय : सहारनपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2017-18 दिनांक 31.03.2018 तक वास्तविक आंकड़े एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित आय-व्यय अनुमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
मा0 बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत अतिरिक्त वृक्षारोपण व्यय मद को विलोपित करते हुए शेष प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

एजेन्डा आईटम संख्या : 55/06

विषय:- औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात(एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008(यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।
उक्त के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रस्ताव अंगीकृत किया गया तथा निर्देशित किया गया कि अंगीकरण की सूचना शासन को प्रेषित की जाये।

मा0 अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से-

बोर्ड बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त करते हुए सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के पुराने घने बसे क्षेत्र तथा सहारनपुर महायोजना में निर्मित आवासीय क्षेत्र के रूप में दर्शित क्षेत्र के अन्तर्गत विन्धित सघन बाजार क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं-

सहारनपुर महायोजना-2021 में दर्शित पुराने और निर्मित क्षेत्रों में जहाँ पर पूर्व से सड़क के किनारे व्यवसायिक गतिविधियों संचालित है, उक्त सघन बाजार क्षेत्र के अग्र भाग में 1.50 मी0, अग्र सैट बैक के पश्चात 6.00 मी0 कुल 7.50 मी0 तक केवल भूतल पर व्यवसायिक किया अनुमत्य है। शेष अनुवर्ती 2 तलों तक अनुमत्य एफ0ए0आर0 के अंतर्गत आवासीय उपयोग हेतु निर्माण अनुमत्य होगा। इसी प्रकार महायोजना में दर्शित बाजार क्षेत्र में अग्र सैट बैक 1.50 मी0 के साथ न्यूनतम 3.00 मी0 गंड्राई तक पार्किंग के साथ कुल 12.00मी0 गहराई तक भूतल तक व्यवसायिक गतिविधि अनुमत्य है। शेष अनुवर्ती 2 तलों तक आवासीय उपयोग अनुमत्य होगा। अर्थात् कुल 3 तल तक निर्माण कार्य अनुमत्य होगा।

उपरोक्त सघन बाजार एवं बाजार क्षेत्र में महायोजना में सड़क की चौड़ाई अंकित नहीं है परन्तु निर्मित आवासीय क्षेत्र में भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति 4.00मीटर चौड़ी सड़क पर किये जाने का प्राविधान है। महायोजना में 100 वर्षों से अधिक पूर्व निर्मित क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र के रूप में दर्शित किया गया है, जिसमें पूर्व में ही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियाँ भू-तल पर संचालित है। उक्त को नियमित किये जाने के उद्देश्य से ही आवासीय निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत सघन बाजार के रूप में भूतल पर 1.50 मीटर सैट बैक छोड़ते हुए मात्र 6.00 मीटर की गहराई तक व्यवसायिक किया अनुमत्य की गयी हैं तथा बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र भू-तल पर 1.50 मीटर सैटबैक तथा 3.00 मीटर पार्किंग स्थल को छोड़ते हुए मात्र 7.50 मीटर की गहराई तक व्यवसायिक/वाणिज्यिक क्रियाएँ अनुमत्य की गयी हैं। शेष भूखण्ड पर तथा अनुवर्ती तलों पर आवासीय क्रियाएँ ही अनुमत्य की गई है, जिससे विशुद्ध रूप से उस क्षेत्र को निर्मित आवासीय ही रखा जा सके एवं मात्र दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त व्यवसायिक क्रियाएँ अनुमत्य की गयी हैं।

बोर्ड बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री काली विभूति शुक्ला, सहयुक्त नियोजक एवं शासन द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण से सम्यक् किये गये श्री कौशवेन्द्र कुमार गौतम, नगर नियोजक से उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गहन चर्चा की गई। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण में सघन बाजार क्षेत्र एवं बाजार क्षेत्र में महायोजना के अनुसार दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में बाजार क्षेत्र नहीं है, बल्कि नगरीय निर्मित क्षेत्र में व्यवसायिक क्षेत्र को नियंत्रित करने हेतु मात्र 6.50 मी0 गहराई तक बाजार स्ट्रीट घोषित करते हुए न्यूनतम 4.00 मी0 सड़क अथवा स्थल पर विद्यमान सड़क, जो भी अधिक चौड़ी हो, के आधार पर महायोजना के प्राविधानों के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। उनके द्वारा संयुक्त रूप से सहारनपुर विकास प्राधिकरण में भी उपरोक्त व्यवस्थाओं को लागू करते हुए मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने की सहमति दी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मा0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि वर्तमान में प्रभावी महायोजना में निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत सघन बाजार एवं बाजार क्षेत्र में व्यवसायिक किया अनुमत्य किये जाने के लिए किसी प्रकार की सड़क चौड़ाई हेतु कोई प्रतिबन्ध अंकित नहीं किया गया है बल्कि व्यवसायिक क्रिया की अनुमत्यता को भूखण्ड की निश्चित गहराई एवं भू-तल तक ही सीमित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि सघन बाजार एवं बाजार क्षेत्र के अतिरिक्त महायोजना में दर्शित अन्य व्यवसायिक भू-उपयोग में जहाँ पर वर्तमान में ले-आउट स्वीकृत किया जाना सम्भव



है, उक्त स्थलों पर आवश्यक रोड़ वाईडनिंग के साथ 12.00 मी0 चौड़ी सड़क के प्रस्ताव के साथ व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

अतः विचार विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि आवासीय निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत महायोजना मे निर्मित सघन बाजार एवं बाजार क्षेत्र में निर्मित आवासीय क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम 4.00 मीटर चौड़ी सड़क अथवा स्थल पर विद्यमान सड़क, जो भी अधिक चौड़ी हो, के आधार पर सहारनपुर महायोजना-2021 के प्राविधानों के अनुसार आवासीय/व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाए तथा अन्य व्यवसायिक भू-उपयोग में जहाँ वर्तमान में ले-आउट स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसे स्थलों पर आवश्यक रोड़ वाईडनिंग सहित 12.00मी0 चौड़ी सड़क के प्रस्ताव के साथ व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत किये जायें।



(कर्मवीर सिंह)


अधिशाली अभियन्ता

प्रतिनिधि-अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त,
लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।

(ए0के0 राय)

अपर निदेशक(कोषागार)

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
सहारनपुर।



(कमली विमूति शुक्ला)

सहयुक्त नियोजक,

प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।



(कौशिकेन्द्र कुमार गौतम)

नगर नियोजक,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद। (विशेष आमंत्रि)



(रविन्द्र गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता

नगरीय विद्युत वितरण ~~सहारनपुर~~,
सहारनपुर। (विशेष आमंत्रि)



(सूरजलाल)

अधीक्षण अभियन्ता,

उ0प्र0 जल निगम,
निर्माण मण्डल, सहारनपुर।



(यादराम यादव)

उप महानिरीक्षक निबन्धन,
सहारनपुर। (विशेष आमंत्रि)



(ज्ञानेन्द्र सिंह)

नगर आयुक्त, नगर निगम,
सहारनपुर।



(सुखलाल भारती)

उपाध्यक्ष,

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।



(आलोक कुमार पाण्डेय)

जिलाधिकारी,

सहारनपुर।



(सी0पी0 त्रिपाठी)

अध्यक्ष/आयुक्त

विकास प्राधिकरण/सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 56/02

दिनांक 22.09.2018 को सम्पन्न हुई 55वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	अनुपालन आख्या
55/01	दिनांक 08.06.2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
55/02	दिनांक 08.06.2018 को सम्पन्न हुई 54वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या को अवलोकित किया गया।
55/03	ग्राम दरा शिवपुरी स्वाद बैरून की अर्बन सीलिंग भूमि खसरा संख्या 24मि०, 25मि०, 20मि० व 21मि० का कुल रकबा 4369.44 वर्ग मी० भूमि जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को स्थानान्तरित है, में अन्य भूस्वामी श्रीमती कंचन जुनेजा की 142.18 वर्ग मी० भूमि को दूसरी तरफ खसरा सं० 21 से विनिमय करने हेतु।	मा० बोर्ड द्वारा दिये निर्देशों के अनुपालन में विनिमय करा लिया गया है। योजना के डिमाण्ड सर्वे हेतु दिनांक 11 फरवरी, 2019 से पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।
55/04	प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति।	प्राधिकरण के पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण लैण्ड बैंक शून्य है। अतः लक्ष्य की पूर्ति के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति से शासन को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्राधिकरण, जिला प्रशासन स्तर से अथक प्रयास करते हुए शासन से भी निरन्तर अनुरोध किया गया लेकिन सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी उपयुक्त निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदत्त लक्ष्य के सापेक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उचित निर्देश दिये जाने हेतु इस कार्यालय के अर्द्धशा० पत्र सं० 727/एसडीए/पी.एम.ए. वाई./18-19 दिनांक 27.12.2018 एवं तीन बिन्दुओं (1) सहारनपुर विकास प्राधिकरण को

		<p>प्रदत्त लक्ष्य को शून्य करने के संबंध में, (2) भूमि अर्जन (क्रय) हेतु शासन स्तर से धनराशि उपलब्ध कराने एवं (3) सहारनपुर विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र से बाहर निकटवर्ती ग्रामों में भूमि यदि प्राप्त हो तो भवन निर्माण के लिए नियमानुसार अनुमति के संबंध में मार्गदर्शन हेतु जिलाधिकारी, सहारनपुर के अर्द्धशा0 पत्र सं0 743/पी.एम. ए.वाई./2018 दिनांक 31.12.2018 के द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।</p> <p>उक्त के संबंध में वर्तमान में शासनादेश सं0 27/8-1-2018-08विधि/2016, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, दिनांक 15 जनवरी, 2019 जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में है, के द्वारा पूर्व में सहारनपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित 2000 भवनों के लक्ष्य को शून्य करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में वर्तमान में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संबंध में कोई अग्रोत्तर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।</p>
55/05	सहारनपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2017-18 दिनांक 31.03.2018 तक वास्तविक आंकड़े एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित आय-व्यय अनुमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
55/06	औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008(यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।	उक्त प्रस्ताव को अंगीकृत किये जाने के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 648/स0वि0प्र0/2018 दिनांक 17.10.18 द्वारा शासन को सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
	<p>मा0 अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से।</p> <p>शहर के पुराने घने बसे क्षेत्र तथा सहारनपुर महायोजना में निर्मित आवासीय क्षेत्र के रूप में दर्शित क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित सघन बाजार क्षेत्र में मानचित्रों की स्वीकृति में आने वाली समस्याओं के संबंध में प्रस्ताव।</p>	निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

एजेण्डा नोट

आईटम संख्या : 56/03

विषय : सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम दरा शिवपुरी स्वाद बैरून की अर्बन सीलिंग की खसरा संख्या 24मि0, 25मि0, 20मि0 व 21मि0 का कुल रकबा 4369.44 वर्ग मी0 प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि पर नियोजन उपरान्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की 54वीं बैठक दिनांक 08.06.2018 के एजेण्डा आईटम संख्या 54/04 पर दरा शिवपुरी स्वाद बैरून की खसरा संख्या 24मि0, 25मि0, 20मि0 व 21मि0 का कुल रकबा 4369.44 वर्ग मी0 अर्बन सीलिंग की भूमि, जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण को घनांक रू0 85,62,055.00 भुगतान करने के उपरान्त हस्तांतरित है, में अन्य भू-स्वामी श्रीमती कंचन जुनेजा की खसरा सं0 24मि0 में 142.18 वर्ग मी0 भूमि को दूसरी तरफ खसरा सं0 21 में से विनिमय करने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 बोर्ड के विचारार्थ एवं स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 बोर्ड द्वारा प्रश्नगत भूमि के मूल्यांकन हेतु समिति गठित कर निर्देशित किया गया था कि उक्त समिति द्वारा तथ्यात्मक आख्या के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्या प्रश्नगत भूमि का विनिमय किया जा संकता है? तथा नियमानुसार स्टाम्प की कितनी देयता होगी? समिति की संयुक्त आख्या के साथ प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आख्या प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2018 के एजेण्डा आईटम संख्या 55/03 के माध्यम से मा0 बोर्ड के विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत की गई थी। मा0 बोर्ड द्वारा विगत बैठक दिनांक 08.06.2018 में गठित समिति की संयुक्त आख्या के अवलोकनोपरान्त उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए निर्देशित किया गया था कि उक्त कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने की दृष्टि से अधिकतम एक माह के अन्दर पूर्ण करा लिया जाये। इसके उपरान्त शीघ्र ही नियोजन करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जाये।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में अर्बन सीलिंग की खसरा सं0 24मि0, 25मि0, 20मि0 व 21मि0 की दो भागों में विभक्त भूमि के मध्य श्रीमती कंचन जुनेजा के स्वामित्व वाली 142.18व0मी0 भूमि का विनिमय एक तरफ करने की कार्यवाही के उपरान्त 4369.44व0मी0 भूमि का नियोजन किया गया है। उक्त भूमि पर स्टिल्ट के साथ 7 मंजिले 2बी0एच0के0 श्रेणी के 56 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रूद्राक्ष अपार्टमेंट निकट साहिबजी नगर, सर्किट हाऊस मार्ग पर परियोजना तैयार करते हुए स्वीकृति उपरान्त दिनांक 11.02.2019 से डिमाण्ड सर्वे प्रारम्भ कराया गया है। परियोजना के अन्तर्गत भूतल पर वाहनों की पार्किंग हेतु स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण प्रस्तावित है। प्रत्येक तल पर 110व0मी0 के सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल के 8 फ्लैटों का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रकार योजना में कुल 56 फ्लैटों का निर्माण कराया जायेगा, जिसके अन्तर्गत ड्राईंग-कम-ड्राईनिंग रूम के अतिरिक्त 02 शयन कक्ष, 02 शौचालय, 02 स्टोर, 01 किचिन व 02 बाल्कनी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। योजना के विभिन्न तलों पर आवागमन हेतु 02 लिफ्ट तथा 02 जीनों का भी प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना की विशिष्टियों के अन्तर्गत भूकम्परोधी आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर, भूमिगत सीवर लाईन एवं ड्रेनेज, परिसर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर, सुरक्षा बाउण्ड्री, गेट, गार्डरूम एवं कैमरा व अन्य आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्तानुसार अर्बन सीलिंग की 4369.44 वर्ग मी0 भूमि पर आवासीय योजना के नियोजन उपरान्त योजना के क्रियान्वयन हेतु की गई कार्यवाही मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 56/04

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अद्यतन स्थिति का अवलोकन सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2018 के एजेन्डा आईटम संख्या 55/04 पर मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 बोर्ड द्वारा मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत अधूरे पड़े भवनों के निर्माण को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने के विन्दु पर निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत प्लिंथ लेवेल या प्लिंथ लेवेल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराने, विकास कार्यो तथा ग्राम दराअली स्वाद अन्दरून(नोन जैड0ए0), परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के खेवट संख्या 449, जो राजस्व अभिलेखानुसार "भारत सरकार" के नाम अंकित है, के कुल रकवा 4.722 हेक्टेयर भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित की जाये।

प्राधिकरण के पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण लैण्ड बैंक शून्य है। अतः लक्ष्य की पूर्ति के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण स्थिति से पूर्व में शासन को अवगत कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्राधिकरण, जिला प्रशासन स्तर से अथक प्रयास करते हुए शासन से भी निरन्तर अनुरोध किया गया, लेकिन सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी उपयुक्त निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदत्त लक्ष्य के सापेक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन/आवास बंधु, उत्तर प्रदेश की अपेक्षानुसार मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम मंवीकला में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 195 में 4.00 एकड़ उपलब्ध कराई गई निःशुल्क भूमि, जो कि राजस्व अभिलेखों में आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर के नाम दर्ज है, के क्रम में प्लिंथ लेवेल या प्लिंथ लेवेल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराने तथा विकास कार्यो हेतु उक्तानुसार वॉछित भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सहारनपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा शासन/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से अनुरोध किया गया। तदक्रम में आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से आयुक्त महोदय से दूरभाष पर हुई वार्ता तथा शासन द्वारा दिनांक 17.12.2018 को आहुत की गई मासिक समीक्षा बैठक में उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरित कराये

जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उक्त परिसर में आवास-विकास परिषद द्वारा स्वयं भवनों का निर्माण किये जाने में सहमति व्यक्त की गई है।

. उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उचित निर्देश दिये जाने हेतु इस कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 727/एसडीए/पीएमववाई/18-19 दिनांक 27.12.2018 एवं तीन बिन्दुओं 1-सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को प्रदत्त लक्ष्य को शून्य करने के सम्बन्ध में। 2-भूमि अर्जन(कय) हेतु शासन स्तर से धनराशि उपलब्ध कराने एवं 3- सहारनपुर विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र से बाहर निकटवर्ती ग्रामों में भूमि यदि प्राप्त हो तो भवन निर्माण के लिए नियमानुसार अनुमति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन हेतु जिलाधिकारी, सहारनपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 743/पीएमववाई/2018 दिनांक 31.12.2018 के द्वारा शासन से अनुरोध किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में वर्तमान में शासनादेश संख्या 27/आठ-1-2018-08विविध/2018, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, दिनांक 15.01.2019, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य को पुर्नरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में है, के द्वारा पूर्व में सहारनपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित 2000 भवनों के लक्ष्य को शून्य करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत मंचीकला में प्लिथ लेवल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर को हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

अतः प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर से सम्यन्धित सम्पूर्ण स्थिति मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

सुख लाल भारती

(आई.ए.एस.)

उपाध्यक्ष



सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर-247001 (उत्तर प्रदेश)
कार्यालय : 0132-2720990
फैक्स : 0132-2720990
www.sdaharanpur.com
E-mail : sda12@rediffmail.com

पत्रांक ... 727/SDA/PMAY/18-19

दिनांक 27-12-2018

आदर्शीय महोदय

कृपया अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के घटक अर्फोडेवल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 986/आठ-1-18-80 विविध/2010 दिनांक 26 जून, 2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः 750, 1000 एवं 250 ई0डब्लू0एस0 भवनों (कुल 2000 भवन) हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण को लक्ष्य प्रदान किया गया है।

वर्तमान में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण लैण्ड बैंक शून्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भवनों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित नगर निगम, अर्बन सीलिंग व श्रेणी-5 के 1.000हे0 से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का गाटावार विवरण सहित जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों की भूमियों का निरीक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम दराकोटतला स्वाद, ग्वालिरा, ग्राम फतेहपुर जट्ट, ग्राम चकआदमपुर, ग्राम खानआलमपुरा, ग्राम दरगाहपुर, ग्राम दराअली स्वाद बैरून के अन्तर्गत अधिकांशतः भूमियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में वाद/एस0एल0पी0 विचाराधीन होने/भूमि लो-लाईग एरिया एवं नदी के किनारे स्थित होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त ग्राम दराअली स्वाद अन्दरून (नॉन जैड0ए0), ग्राम शेखपुरा कदीम, ग्राम घोघरेकी, ग्राम कांकरकुई की भूमि का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम दराअली स्वाद अन्दरून(नॉन जैड0ए0) की भूमि, जो राजस्व अभिलेखानुसार "भारत सरकार" के नाम अंकित है, के विभिन्न खसरा नम्बरानों की कुल 4.722हेक्टेयर भूमि, जो वर्तमान में नगर निगम, सहारनपुर के कब्जे में है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाये जाने हेतु उपयुक्त पाई गई। इस भूमि का मालिकाना हक/स्वामित्व सहित निःशुल्क सहारनपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2018 को सम्पन्न बैठक में ग्राम दराअली स्वाद अन्दरून(नॉन जैड0ए0) के खेवट संख्या-449 में अंकित 4.722 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश दिये गये कि उक्त भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण को इस आशय से हस्तान्तरित की जाये कि उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) का निर्माण कराया जाये।" अतः शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में भूमि का मालिकाना हक/स्वामित्व सहित निःशुल्क सहारनपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा शासन से अनुरोध किया गया किन्तु उपरोक्त भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं हो पाई है।

ग्राम शेखपुरा कदीम की कुल रकबा 24707.25वर्गमीटर भूमि, जो सी0पी0पी0आर0आई0 के कब्जे में तथा उनकी बाउण्ड्रीवॉल के अन्दर विभिन्न स्थानों पर स्थित है एवं ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। यदि इस भूमि को एकजाई करते हुए प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाता तो यह भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाये जाने हेतु उपयुक्त पाई गई लेकिन इस सम्बन्ध में श्री ए0के0 सक्सेना, प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान(सी0पी0पी0आर0आई0) के पत्र दिनांक 11.09.2018 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संस्थान भारत सरकार के मंत्रालय के नियंत्रणाधीन होने के कारण प्रकरण मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया

जायेगा। इस प्रकार उपरोक्त भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त ग्राम कांकरकुई की भूमि श्रेणी-5(3)-क चरागाह के अन्तर्गत होने के कारण उपयुक्त नहीं पाई गई।

ग्राम घोघरेकी(नागदेव नदी के पास) की भूमि का निरीक्षण दिनांक 20.08.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा एस0डी0एम0(सदर), तहसीलदार एवं सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के साथ किया गया। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के पत्रांक 2945/सिंचाई दिनांक 07.09.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित निर्माण स्थल नागदेव नदी के अति समीप है, नदी में बाढ़ की स्थिति में यह स्थल नदी के बहाव के पूर्व उपलब्ध निस्सरण के आंकड़ों को देखते हुए सुरक्षित नहीं है। बाढ़ की स्थिति में meandering action के चलते प्रस्तावित स्थल के मुख्य बहाव के मार्ग में आने की सम्भावना है। अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस भूमि पर आवासीय निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा।

प्रश्नगत भूमि का दिनांक 13.11.2018 को संयुक्त निरीक्षण आयुक्त महोदय द्वारा जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, उप जिलाधिकारी(सदर), अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सहायक अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड की उपस्थिति में किया गया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर के पत्रांक 2027/वाई-15/147 दिनांक 27.12.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल नागदेव नदी के अति निकट स्थित है। वर्षाकाल एवं बाढ़ की स्थिति में प्रश्नगत स्थल नदी के डूब क्षेत्र में होने के कारण सुरक्षित नहीं है। हिण्डन नदी से बैक वाटरिंग होने/बाढ़ आने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल मुख्य बहाव के मार्ग में आने की प्रबल सम्भावना है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 17.10.2018 में गंगा नदी के किनारों से 100मीटर तक नो डेवलपमेंट/नो कन्सट्रक्शन जोन बनाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रस्तावित भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत भवनों का तकनीकी दृष्टि से निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा।


इस सम्बन्ध में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी प्रश्नगत स्थल वर्षाकाल में नदी के डूब क्षेत्र में होने, हिण्डन नदी से बैक वाटरिंग होने तथा बाढ़ आने की स्थिति में मुख्य बहाव के मार्ग में आने की प्रबल सम्भावनाओं को देखते हुए तकनीकी दृष्टि से प्रस्तावित भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत भवनों का निर्माण किया जाना उचित नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्तानुसार सिंचाई निर्माण खण्ड, आवास एवं विकास परिषद तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण की तकनीकी आख्या के क्रम में यह भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु यू0पी0एस0आई0डी0सी0/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया। श्री पी0के0 पाण्डेय, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पत्र संख्या 1380/एसआईडीसी/ए/पीएम-आवास दिनांक 18.09.2018 के द्वारा अवगत कराया गया कि निगम द्वारा जनपद सहारनपुर में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्ड सृजित न होने के कारण प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध किया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश शासन/आवास बंधु, उत्तर प्रदेश की अपेक्षानुसार मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम मंवीकला में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 195 में 4.00 एकड़ उपलब्ध कराई गई निःशुल्क भूमि, जो कि राजस्व अभिलेखों में आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर के नाम दर्ज है, के क्रम में प्लिंथ लेवेल या प्लिंथ लेवेल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराने तथा विकास कार्य हेतु उक्तानुसार वॉछित भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सहारनपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा शासन/आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से अनुरोध किया गया। तदक्रम में आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से आयुक्त महोदय से दूरभाष पर हुई वार्ता तथा शासन द्वारा दिनांक 17.12.2018 को आहूत की गई मासिक समीक्षा बैठक में उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरित कराये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उक्त परिसर में आवास-विकास परिषद द्वारा स्वयं भवनों का निर्माण किये जाने में सहमति व्यक्त की गई है।


उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य के सापेक्ष निःशुल्क उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्राधिकरण, जिला प्रशासन स्तर से अथक प्रयास करते हुए शासन से भी निरन्तर अनुरोध किया गया है, लेकिन सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी उपयुक्त निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदत्त लक्ष्य के सापेक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए उचित निर्देश देने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय,

 (सुखलाल भारती) 27.12.20


श्री नितिन रमेश गोकर्ण,
 प्रमुख सचिव,
 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

कृपया अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

 (सुखलाल भारती) 27.12.20

आयुक्त/अध्यक्ष,
 सहारनपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण,
 सहारनपुर।

कृपया अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

 (सुखलाल भारती) 27.12.20

जिलाधिकारी,
 सहारनपुर।

१२

आलोक कुमार पाण्डेय
आई. ए. एस.



जिलाधिकारी, सहारनपुर

निवास - (0132) 2716144, 2715526
फैक्स - (0132) 2715648
कार्यालय - (0132) 2726838, 2723434
अर्द्ध शा0 प0 सं0: 793/P.M.A.Y./2018
दिनांक :31-12-2018.....

आदरणीय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोडेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग हेतु भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 986/आठ-1-18-80 विविध/ 2010 दिनांक 26 जून, 2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः 750, 1000 एवं 250 ई0डब्लू0एस0 भवनों (कुल 2000 भवन) हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण को लक्ष्य प्रदान किया गया है।

वर्तमान में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण लैण्ड बैंक शून्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भवनों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में भूमि उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम, सहारनपुर में स्थित नगर निगम, अर्बन सीलिंग व श्रेणी-5 के 1.000हे0 से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का गाटावार विवरण सहित जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों की भूमियों का निरीक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम दराकोटतला स्वाद, ग्वालिरा, ग्राम फतेहपुर जट्ट, ग्राम चकआदमपुर, ग्राम खानआलमपुरा, ग्राम दरगाहपुर, ग्राम दराअली स्वाद बैरून के अन्तर्गत अधिकांशतः भूमियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में वाद/एस0एल0पी0 विचाराधीन होने/भूमि लो-लाईग एरिया एवं नदी के किनारे स्थित होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त ग्राम दराअली स्वाद अन्दरून (नॉन जैड0ए0), ग्राम शेखपुरा कदीम, ग्राम घोघरेकी, ग्राम कांकरकुई की भूमि का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम दराअली स्वाद अन्दरून(नॉन जैड0ए0) की भूमि, जो राजस्व अभिलेखानुसार "भारत सरकार" के नाम अंकित है, के विभिन्न खसरा नम्बरानों की कुल 4.722हेक्टेयर भूमि, जो वर्तमान में नगर निगम, सहारनपुर के कब्जे में है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाये जाने हेतु उपयुक्त पाई गई। इस भूमि का मालिकाना हक/स्वामित्व सहित निःशुल्क सहारनपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2018 को सम्पन्न बैठक में ग्राम दराअली स्वाद अन्दरून(नॉन जैड0ए0) के खेवट संख्या-449 में अंकित 4.722 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश दिये गये कि उक्त भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण को इस आशय से हस्तान्तरित की जाये कि उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) का निर्माण कराया जाये।" अतः शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में भूमि का मालिकाना हक/स्वामित्व सहित निःशुल्क सहारनपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा शासन से अनुरोध किया गया किन्तु उपरोक्त भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं हो पाई है।

ग्राम शेखपुरा कदीम की कुल रकबा 24707.25वर्गमीटर भूमि, जो सी0पी0पी0आर0आई0 के कब्जे में तथा उनकी बाउण्ड्रीवॉल के अन्दर विभिन्न स्थानों पर स्थित है एवं ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। यदि इस भूमि को एकजाई करते हुए प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाता तो यह भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाये जाने हेतु उपयुक्त पाई गई लेकिन इस सम्बन्ध में श्री ए0के0 सकसेना, प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान(सी0पी0पी0आर0आई0) के पत्र दिनांक 11.09.2018 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संस्थान भारत सरकार के मंत्रालय के नियंत्रणाधीन होने के कारण प्रकरण मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार उपरोक्त भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त ग्राम कांकरकुई की भूमि श्रेणी-5(3)-क चरागाह के अन्तर्गत होने के कारण उपयुक्त नहीं पाई गई।

ग्राम घोघरेकी(नागदेव नदी के पास) की भूमि का निरीक्षण दिनांक 20.08.2018 को उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा एस0डी0एम0(सदर), तहसीलदार एवं सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के साथ किया गया। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के पत्रोंक 2945/सिंचिखस दिनांक 07.09.2018

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

(62)

के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित निर्माण स्थल नगदेव नदी के अति समीप है, नदी में बाढ़ की स्थिति में यह स्थल नदी के बहाव के पूर्व उपलब्ध निस्सारण के ओकड़ों को देखते हुए सुरक्षित नहीं है। बाढ़ की स्थिति में meandering action के चलते प्रस्तावित स्थल के मुख्य बहाव के मार्ग में जाने की सम्भावना है। अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस भूमि पर आवासीय निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा।

प्रश्नगत भूमि का दिनांक 13.11.2018 को संयुक्त निर्माण आयुक्त महोदय द्वारा अधोदस्तावेज़ी, अंतिम, नगर आयुक्त, उम जिलाधिकारी(सदर), अधिसारी अभियन्ता 2030 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर अधिसूचना सिंचाई निर्माण खण्ड की उपस्थिति में किया गया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिसारी अभियन्ता 2030 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर के पत्रोंक 2021/साई-15/147 दिनांक 27.12.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल नगदेव नदी के अति निकट स्थित है। वर्षाकाल एवं बाढ़ की स्थिति में प्रश्नगत स्थल नदी के दूध बहाव में होने के कारण सुरक्षित नहीं है। हिण्डन नदी में बैक वाटरिंग होने/बाढ़ आने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल मुख्य बहाव के मार्ग में जाने की प्रवृत्ति सम्भावना है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मा० नेशनल ग्रिन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 17.10.2018 में नदी के किनारे से 100मीटर तक नो डेवलपमेंट/नो कन्सट्रक्शन ज़ोन बनाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रस्तावित भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत भवनों का तकनीकी दृष्टि से निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी प्रश्नगत स्थल वर्षाकाल में नदी के दूध बहाव में होने, हिण्डन नदी से बैक वाटरिंग होने तथा बाढ़ आने की स्थिति में मुख्य बहाव के मार्ग में जाने की प्रवृत्ति सम्भावनाओं का देखते हुए तकनीकी दृष्टि से प्रस्तावित भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत भवनों का निर्माण किया जाना उचित नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्तानुसार सिंचाई निर्माण खण्ड, आवास एवं विकास परिषद तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण की तकनीकी आस्था के कम में यह भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु यू०पी०एस०आई०डी०सी०/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया। श्री पी०के० पाण्डेय, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी० के पत्र संख्या 1280/एसआईडीसी/ए/ पीएम-आवास दिनांक 18.09.2018 के द्वारा अवगत कराया गया कि निगम द्वारा जनपद सहारनपुर में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्ड सृजित न होने के कारण प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध किया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश शासन/आवास बंधु, उत्तर प्रदेश की अपेक्षानुसार मा० श्री काशीराम जी शहरी शहरी आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम मंवीकला में 2030 आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 195 में 400 एकड़ उपलब्ध कराई गई निःशुल्क भूमि, जो कि राजस्व अभिलेखों में आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर के नाम दर्ज है, के क्रम में प्लिथ लेवेल या प्लिथ लेवेल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराने तथा विकास कार्य हेतु उक्तानुसार वॉलित भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सहारनपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा शासन/आवास आयुक्त, 2030 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से अनुरोध किया गया। तदक्रम में आवास आयुक्त, 2030 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से आयुक्त महोदय से दूरभाष पर हुई वार्ता तथा शासन द्वारा दिनांक 17.12.2018 को आहूत की गई मासिक समीक्षा बैठक में उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरित कराये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उक्त परिषद में आवास-विकास परिषद द्वारा स्वयं भवनों का निर्माण किये जाने में सहमति व्यक्त की गई है।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य के सापेक्ष निःशुल्क उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्राधिकरण, जिला प्रशासन स्तर से अथक प्रयास करते हुए शासन से भी निरन्तर अनुरोध किया गया है, परन्तु कोई उपयुक्त निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदत्त लक्ष्य के सापेक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 50डब्ल्यूएस० भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुरोध है कि शासनादेश संख्या 988/आट-1-18-80विधि /2010 दिनांक 26 जून, 2018 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमशः 750, 1000 एवं 250 50डब्ल्यूएस० भवनों (कुल 2000 भवन) के निर्माण के सम्बन्ध में निम्न तीन बिन्दुओं पर उचित मार्गदर्शन देने का कष्ट करें :-

(1) सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को प्रदत्त लक्ष्य को शून्य करने के सम्बन्ध में।

(03)

- (2) भूमि अर्जन(कय) हेतु शासन स्तर से घनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
 (3) साहजनपुर विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र से बाहर निकटवर्ती ग्रामों में भूमि यदि प्राप्त हो तो भवन निर्माण के लिए नियमानुसार अनुमति।

भवदीय,

(आलोक कुमार पाण्डेय)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण
 आ.००११०

प्रमुख सचिव,
 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 आदरणीय महोदय,

कृपया अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आलोक कुमार पाण्डेय)

श्री अनूप चन्द पाण्डेय,
 आ.००११०

मुख्य सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन,
 लखनऊ।

आदरणीय महोदय,

कृपया अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आलोक कुमार पाण्डेय)

श्री मनोज कुमार सिंह,
 आ.००११०

प्रमुख सचिव,
 नगर विकास,
 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आदरणीय महोदय,

कृपया अर्द्ध शासकीय पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आलोक कुमार पाण्डेय)

श्री अजय चौहान,
 आ.००११०

आवास आयुक्त,
 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ,

21-AE(S)

संख्या : 27/आठ-1-2018-08विधि/2018

प्रेषक,
राजेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2018

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-986/आठ-1-18-80विधि/2010, दिनांक 26 जून, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन पार्टनरशिप मद के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अभिकरणों में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के लिए ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण हेतु निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया गया है:-

(भवनों की संख्या हजार में)

क्रमांक	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	योग
1.	आवास विकास परिषद	45	60	15	120

2- उल्लेखनीय है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के लिए उक्त शासनादेश में ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण हेतु कुल 2000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किन्तु मूनि की अनुपलब्धता के कारण जिलाधिकारी, सहारनपुर एवं उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त लक्ष्य के सापेक्ष भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव न होने का उल्लेख करते हुए सहारनपुर विकास प्राधिकरण को प्रदत्त लक्ष्य को शून्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित 2000 भवनों के लक्ष्य को शून्य करते हुए उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग-इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु भवनों के निर्माण हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को पूर्व में आवंटित लक्ष्य को पुनरीक्षित करते हुए निम्नवत निर्धारित किया जाता है :-

(भवनों की संख्या हजार में)

क्रमांक	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	योग
1.	आवास विकास परिषद	45	60	17	122

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

भवतीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

E/Aws-1/Yadav/0018
AE(S) Sh. Kankhile (JE) उपाध्यक्ष
Sh. Ramani (JE) सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

17/01/19
EK

Sh. Barha

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

16/01/19

संख्या एवं दिनांक तदेव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आदरयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर को उनके पत्र संख्या-743/पी०एम०ए०आई०/2018, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के संदर्भ में।
2. उपस्थायक, सहारनपुर विकास प्रधिकरण को उनके पत्र संख्या-727/एस०डी०ए०/पी०एम०ए०आई०/2018-19, दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 के संदर्भ में।
3. निदेशक, आवास बन्धु/निदेशक, सूडा, ज०२०, लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 56/05

विषय : सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों/शमन मानचित्रों की स्वीकृति के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि लिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की "मासिक समीक्षा-समस्या विश्लेषण व निदान" के सम्बन्ध में दिनांक 12.04.2018 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त के क्रमांक-24 के बिन्दु (iv) पर निर्देशित किया गया है कि "मानचित्र की स्वीकृति पर नियमानुसार सर्विस टैक्स की देयता होती है। वर्तमान में On Line Building Plan के सॉफ्टवेयर में सर्विस टैक्स की गणना किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः सॉफ्टवेयर में सर्विस टैक्स की गणना का भी प्रभावी सिस्टम विकसित कराया जाये। जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्बन्धित अनुयाग एवं निदेशक, आवास बन्धु को तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। तदक्रम में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति में जी0एस0टी0 लिया जा रहा है।

श्री कृष्ण राजीव सिंघल, डायरेक्टर, मै0 रिकवर्ड रोकेन्ट्री स्कूल एवं श्रीमती शिप्रा धवन तिवारी, डायरेक्टर, मै0 पैगसस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, सहारनपुर द्वारा जिलाधिकारी गढ़ोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 एवं 30.01.2019 को सम्पन्न हुई, जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों पर जी0एस0टी0 लिये जाने सम्बन्धी बिन्दु पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अनुचित बताया गया है। जिलाधिकारी गढ़ोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन/निर्देश दिये जाने हेतु अनुरोध कर लिया जाये। तदक्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 1366/स0वि0प्रा0/जि0उ0ब0स0-बैठक/2018 दिनांक 22.09.2018 के द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित मार्गदर्शन/दिशा निर्देश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन से अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में मानचित्र/शमन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य शुल्कों के साथ जी0एस0टी0 शुल्क की धनराशि लिये जानें अथवा नहीं लिये जानें के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 2143/स0वि0प्रा0/लेखा0/2018-19 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा मुजफ्फरनगर/मेरठ/आगरा/बुलन्दशहर/हापुड-पिलखुवा/गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया है। तदक्रम में बुलन्दशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर के पत्रोंक 8940/वि0प्रा0/2018-19 दिनांक 31.12.2018 एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 12/मु0वि0प्रा0/2019 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा क्रमशः अवगत कराया गया है कि बुलन्दशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण में अभी तक जी0एस0टी0 की वसूली प्रारम्भ नहीं हो सकी है तथा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण में मानचित्र को स्वीकृत/शमन करते समय अन्य शुल्कों के साथ जी0एस0टी0 की धनराशि नहीं ली जा रही है तथा ऑन-लाईन मानचित्र स्वीकृति हेतु बनाये गये सॉफ्टवेयर में भी जी0एस0टी0 का विवरण नहीं है। यह भी अवगत कराना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से इस प्राधिकरण में सम्बद्ध नगर नियोजक से प्राप्त जानकारी के अनुसार भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में भी मानचित्र स्वीकृति के समय जी0एस0टी0 नहीं लिया जा रहा है। उ0प्र0शासन, लखनऊ में दिनांक 30.01.2019 को उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी आहूत बैठक के उपरान्त श्री राजेश पाण्डेय, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन से प्राधिकरणों में जी0एस0टी0 लिये जाने या न लिये जाने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी अन्य प्राधिकरणों में भी जी0एस0टी0 नहीं लिया जा रहा है। अतः आप द्वारा जी0एस0टी0 लिया जाना न्यायाचित नहीं है।

अतः मानचित्रों/शमन मानचित्रों की स्वीकृति के अन्तर्गत जी0एस0टी0 मद में लिये जा रहें शुल्क के सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरणों यथा-बुलन्दशहर एवं खुर्जा/मुजफ्फरनगर/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार सहारनपुर विकास प्राधिकरण में भी मानचित्रों की स्वीकृति के दौरान जी0एस0टी0 न लिये जाने की व्यवस्था को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

:: जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक का एजेण्डा ::

बैठक की तिथि
बैठक की अध्यक्षता
बैठक का स्थान
बैठक का समय
संयोजक

:- 30.01.2019
:- जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर।
:- कलेक्ट्रेट, सभाकक्ष, सहारनपुर।
:- 4.00 बजे सांय ।
:- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं
उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सहारनपुर।

G. S. 10

G. S. 10

23.

5

14	श्री सचिन गोयल, डायरेक्टर	मै0 नार्दन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रा0लि0	नीयर शिव चौक, गंगोह, सहारनपुर।	ट्रांसपोर्टेशन	रु0 200.00	3500	इकाई द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र यूपीएसआरटीसी / परिवहन विभाग के स्तर पर लम्बित है।
15	श्री मनजीत सिंह अरोडा, डायरेक्टर	मै0 सहारनपुर टेक्सजॉन	टीपरपुर, जनता रोड, सहारनपुर।	कॉटन हॉजरी क्लस्टर	रु0 50.00	5000	इकाई द्वारा भूमि की खोज की जा रही है।
16	श्री दीप शिखा गर्ग, डायरेक्टर	मै0 बाल एवं समाज कल्याण समिति,	साई मन्दिर के विपरीत, बेहट रोड, सहारनपुर।	कारपेट बिविंग, क्लाथ बिविंग एण्ड डिस्प्ले सेन्टर	रु0 4.00	35	इकाई का भूमि हेतु आवेदन चकबन्दी कोर्ट में लम्बित है।
17	श्री कृष्ण राजीव सिंघल, डायरेक्टर	मै0 रिक्ल्ड सीनियर सेकेंड्री स्कूल	जवाहर पार्क, बेहट रोड, सहारनपुर।	एजुकेशन	रु0 8.00	50	मानचित्र का अनुमोदन एस0डी0ए0 द्वारा हो गया है, किन्तु एस0डी0ए0 द्वारा जीएसटी लगाकर धनराशि ली जा रही है, जो अनुचित है।
18	श्री डी0एस0 सिनवाल, सीनियर डायरेक्टर	मै0 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0	जिला सहारनपुर	सीएनजी एण्ड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन	रु0 186.70	150	निर्माण कार्य प्रगति पर है। 1-नगर निगम की भूमि को लीज पर लेने हेतु सचिव नगर विकास विभाग को नगर आयुक्त द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। शासन से आपत्ति प्राप्त हुई है कि इस प्रस्ताव को नगर निगम की बोर्ड बैठक में पारित करके भिजवाया जायेगा। सम्बन्धित इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं हुई है जो दि0 10 अथवा 11. दिस0 2018 को होना प्रस्तावित है।
19	श्रीमती शिप्रा धवन तिवारी, डायरेक्टर	मै0 पैगासस हॉस्पिटल	ए-7, आवास विकास, विल्ली रोड, सहारनपुर।	हॉस्पिटल	रु0 100.00	200	मानचित्र का अनुमोदन एस0डी0ए0 द्वारा हो गया है, किन्तु एस0डी0ए0 द्वारा जीएसटी लगाकर धनराशि ली जा रही है, जो अनुचित है।

24.

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर

पत्रांक: 2143 /स0वि0प्रा0/लेखा0/2018-19

दिनांक: 28/12/ 2018

प्रेषक

वित्त एवं लेखाधिकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

सेवा में,


वित्त नियंत्रक
विकास प्राधिकरण
मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर, हापुड-पिलखुवा, गाजियाबाद।

विषय:- स्वीकृत मानचित्रों में जीएसटी धनराशि के समन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि आपके प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृत/शमन करते समय अन्य शुल्को के साथ जीएसटी शुल्क की धनराशि ली जा रही है अथवा नहीं।

भवदीय


वित्त एवं लेखाधिकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
① सहारनपुर

25.

कार्यालय बुलन्दशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।

पत्रांक:- 8940 /वि0प्रा0/2018-19

दिनांक 31/12/18

सेवा में,

वित्त एवं लेखाधिकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

विषय:- पत्रांक 2143/स0वि0प्रा0/लेखा/2018-19 दिनांक 28.12.18 स्वीकृति
मानचित्रों पर जी0एस0टी0 धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि आपके पत्रांक 2143/स0वि0प्रा0/लेखा/2018-19 दिनांक 28.12.18 के द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति पर जी0एस0टी0 की वसूली हेतु मानचित्र अनुभाग को अवगत कराया गया था, परन्तु अभी तक जी0एस0टी0 की वसूली प्रारम्भ नहीं हो सकी है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,



मुख्य लेखाधिकारी,
बुलन्दशहर एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण,
बुलन्दशहर।

कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

Website: www.muzaffarnagar.com & Email: mdamzn@yahoo.co.in
Ph. 0131-2621922 Fax. 0131-2620839

संख्या: 12 / मु0वि0प्रा0 / 2019

दिनांक: 08/11/19

सेवा में,

वित्त एवं लेखाधिकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।


विषय:- स्वीकृत मानचित्रों में जी.एस.टी. धनराशि के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 2143/स0वि0प्रा0/2018-19 दिनांक 28.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके द्वारा मानचित्र/शमन मानचित्र को स्वीकृत करते समय अन्य शुल्कों के साथ जी.एस.टी. शुल्क की धनराशि को लेने की जानकारी मांगी गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण में मानचित्र को स्वीकृत/शमन करते समय अन्य शुल्कों के साथ जी.एस.टी. की धनराशि नहीं ली जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि ऑन लाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु बनाये गये साफ्टवेयर में भी जी0एस0टी0 का विवरण नहीं है।

यदि इस सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से कोई जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



वित्त एवं लेखाधिकारी
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
मुजफ्फरनगर।

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 56/00

विषय: मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत प्लिन्थ लेवल से ऊपर अपूर्ण अवस्था में पड़े भवनों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

अतमत कराना है कि शारान द्वारा मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत साहारनपुर विकास प्राधिकरण, साहारनपुर को 900 भवनों के निर्माण का लक्ष्य प्रदान किया गया था, जिसके अन्तर्गत बेहट में 300 भवन एवं ग्राम मंवीकला में 600 भवनों का निर्माण किया जाना था, परन्तु शारानादेश संख्या 1088/आठ-2-2012-274सा0/08 टी0शी0-1, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शारान, लखनऊ दिनोंक 28.05.2012 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल प्लिन्थ लेवल से ऊपर की प्रगति वाले भवनों का निर्माण कराया जायेगा तथा प्लिन्थ लेवल से नीचे भौतिक प्रगति वाले भवनों का निर्माण नहीं कराया जायेगा। तत्समय ग्राम मंवीकला में मात्र 368 भवनों का निर्माण प्लिन्थ लेवल से ऊपर तथा 128 भवनों का निर्माण प्लिन्थ लेवल से नीचे था एवं करवा बेहट में 120 भवनों का निर्माण कार्य प्लिन्थ लेवल तक था, जिसे शारान के आदेशों के अनुपालन में रोकते हुए प्लिन्थ लेवल से ऊपर के ग्राम मंवीकला स्थित कुल 368 भवनों का निर्माण कार्य कराया गया। खनन सामग्री की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदार द्वारा माह मई 2012 को निर्माण कार्य स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था। इस कारण सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करते हुए तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनोंक 08.01.2014 को सम्बन्धित ठेकेदार को कालीसूची में दर्ज करते हुए ठेकेदार की जमानत धनराशि तथा अन्य देयक को जब्त करने एवं अवशेष कार्य को अन्य एजेन्सी से कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। आदेशों के क्रम में ठेकेदार द्वारा स्थल पर किये गये अद्यतन कार्य की अन्तिम मापें तत्कालीन अभियन्ताओं द्वारा ली गयी थी। तदोपरान्त योजना को समाप्त किये जाने एवं योजना में अप्रयुक्त धनराशि की वापसी विषयक शासन के पत्र संख्या 67/आठ-2-14-11 मा0का0यो0/13 दिनोंक 27.01.2014 एवं पत्र संख्या 67/आठ-2-14-11 मा0का0यो0/13 दिनोंक 12.02.2014 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 3807/सा0वि0प्रा0/2013-14 दिनोंक 25.02.2014, पत्रोंक 3900/सा0वि0प्रा0/2013-14 दिनोंक 07.03.2014 एवं पत्रोंक 244/सा0वि0प्रा0/2013-14 दिनोंक 10.03.2014 के द्वारा शासन से यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु तत्समय अनुरोध किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में आवास बन्धु के पत्र संख्या 2147/आ0ब0-1/निदेशक-मा0का0यो0/14 दिनोंक 12.03.2014 के क्रम में तृतीय चरण के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त कराई गई धनराशि रू0 9.00 करोड़ एवं दिनोंक 31.03.2014 तक प्राप्त ब्याज रू0 1.25 करोड़ कुल 10.25 करोड़ में से उपयोग/व्यय की गई धनराशि रू0 1.99 करोड़ समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 8.26 करोड़ दिनोंक 18.03.2014 व 04.04.2014 को सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या 268/सा0वि0प्रा0/लेखा0/2013-14 दिनोंक 04.04.2014 के द्वारा आख्या एवं उपयोगिता-गुणवत्ता प्रमाण-पत्रों सहित निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

वर्तमान में मंवीकला में प्लिन्थ लेवल से ऊपर भौतिक प्रगति वाले 368 भवनों को पूर्ण कराये जाने एवं योजना के विकास कार्यों हेतु तैयार किये गये आगणन के अनुसार रू0 1785.92 लाख का व्यय

अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2018 को सम्पन्न हुई मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 17.04.2018 में उल्लिखित विवरण के अनुसार "निदेशक, आवास बंधु द्वारा अवगत कराया गया कि मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के भवन जो प्लिन्थ लेवल से ऊपर अपूर्ण अवस्था में तथा बड़ी संख्या में भवन पूर्ण है, परन्तु इनका आवंटन नहीं हुआ है। इतने बड़े हाउसिंग स्टॉक को अधूरा एवं अनावटित छोड़ देना प्रदेश हित में नहीं है। अतः निर्देशित किया गया कि तृतीय चरण के अन्तर्गत अधूरे पड़े भवनों के निर्माण का कार्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर अवस्थापना निधि के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाये तथा पहले से पूर्ण भवनों को जिलाधिकारी से समन्वय कर आवंटित कराया जाये।" इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की अवस्थापना निधि में उक्त योजना के अन्तर्गत उक्तानुसार 368 भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध नहीं है। अतः उचित होगा कि उक्त भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु अनुमानित धनराशि ₹ 1383.94लाख तथा अवस्थापना सुविधाओं हेतु ₹ 401.98लाख कुल ₹ 1785.92लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये। उपर्युक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या 785/स०वि०प्रा०/अभि०खण्ड/मा०का०यो०/2019 दिनांक 29.01.2019 के द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आख्या निदेशक, आवास बंधु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की गई है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन/आवास बंधु, उत्तर प्रदेश की अपेक्षानुसार मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम मंवीकला में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 195 में 4.00 एकड़ उपलब्ध कराई गई निःशुल्क भूमि, जो कि राजस्व अभिलेखों में आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर के नाम दर्ज है, के कम में प्लिन्थ लेवल या प्लिन्थ लेवल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराने तथा विकास कार्य हेतु उक्तानुसार वॉछित भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सहारनपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा शासन/आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से अनुरोध किया गया। तदकम में आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से आयुक्त महोदय से दूरभाष पर हुई वार्ता तथा शासन द्वारा दिनांक 17.12.2018 को आहुत की गई मासिक समीक्षा बैठक में उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरित कराये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उक्त परिसर में आवास-विकास परिषद द्वारा स्वयं भवनों का निर्माण किये जाने में सहमति व्यक्त की गई है। तदकम में मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत मंवीकला में प्लिन्थ लेवल से नीचे भौतिक प्रगति वाले 232 भवनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर को हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.02.2019 को दिये गये विधिक परामर्श के अनुसार उक्त योजना का सम्पूर्ण अथवा आंशिक हस्तान्तरण उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को किये जाने एवं अपूर्ण भवनों को पूर्ण किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत मंवीकला में प्लिन्थ लेवल से ऊपर भौतिक प्रगति वाले 368 भवनों को पूर्ण कराये जाने तथा उनके विकास कार्य पर आने वाले व्यय हेतु प्राधिकरण की अवस्थापना निधि में धनराशि उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त 368 भवनों को भी 232 भवनों की भाँति सम्पूर्ण परिसर को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर को हस्तगत किया जाना उचित होगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

प्रेषक,

सचिव,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

सेवा में,

निदेशक,
आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

संख्या १४५/स०वि०प्रा०/अभि०खण्ड/मा०का०यो०/२०१९

दिनांक २१ जनवरी, २०१९

विषय: मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत प्लिन्थ लेवल से ऊपर अपूर्ण अवस्था में पड़े भवनों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना(तृतीय चरण) के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को ९०० भवनों के निर्माण का लक्ष्य प्रदान किया गया था, जिसके अन्तर्गत बेहट में ३०० भवन एवं ग्राम मंवीकला में ६०० भवनों का निर्माण किया जाना था, परन्तु शासनादेश संख्या १०८८/आठ-२-२०१२-२७४सा०/०८ टी०सी०-१; आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ दिनांक २८.०५.२०१२ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल प्लिन्थ लेवल से ऊपर की प्रगति वाले भवनों का निर्माण कराया जायेगा तथा प्लिन्थ लेवल से नीचे भौतिक प्रगति वाले भवनों का निर्माण नहीं कराया जायेगा। तत्समय ग्राम मंवीकला में मात्र ३६८ भवनों का निर्माण प्लिन्थ लेवल से ऊपर था एवं १२८ भवनों का निर्माण प्लिन्थ लेवल से नीचे था एवं कस्बा बेहट में १२० भवनों का निर्माण कार्य प्लिन्थ लेवल तक था, जिसे शासन के आदेशों के अनुपालन में रोकते हुए प्लिन्थ लेवल से ऊपर के ग्राम मंवीकला स्थित कुल ३६८ भवनों का निर्माण कार्य कराया गया। खनन सामग्री की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदार द्वारा माह मई २०१२ को निर्माण कार्य स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था। इस कारण सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करते हुए तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक ०८.०१.२०१४ को सम्बन्धित ठेकेदार के कालीसूची में दर्ज करते हुए ठेकेदार की जमानत धनराशि तथा अन्य देयक को जब्त करने एवं अवशेष कार्य को अन्य एजेन्सी से कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। आदेशों के क्रम में ठेकेदार द्वारा स्थल पर किये गये अद्यतन कार्य की अन्तिम मापों के आधार पर जो देयता बनती थी, उसके सापेक्ष ठेकेदार को पूर्व में ₹० १२.८२५लाख का अग्रिम भुगतान किये जाने के कारण ठेकेदार की कोई देयता शेष नहीं थी। तदोपरान्त योजना को समाप्त किये जाने एवं योजना में अप्रयुक्त धनराशि की वापसी विषयक शासन के पत्र संख्या ६७/आठ-२-१४-११ मा०का०यो०/१३ दिनांक २७.०१.२०१४ एवं पत्र संख्या ६७/आठ-२-१४-११ मा०का०यो०/१३ दिनांक १२.०२.२०१४ के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या ३८०७/स०वि०प्रा०/२०१३-१४ दिनांक २५.०२.२०१४, पत्र संख्या ३९००/स०वि०प्रा०/२०१३-१४ दिनांक ०७.०३.२०१४ एवं पत्र संख्या २४४/स०वि०प्रा०/२०१३-१४ दिनांक १०.०३.२०१४ के द्वारा शासन से यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किये जाने के हेतु तत्समय अनुरोध किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में आवास बन्धु के पत्र संख्या २१४७/आ०ब०-१/निदेशक-मा०का०यो०/१४ दिनांक १२.०३.२०१४ के क्रम में तृतीय चरण के

अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त कराई गई धनराशि रू0 9.00 करोड़ एवं दिनांक 31.03.2014 तक प्राप्त ब्याज रू0 1.25 करोड़ कुल 10.25 करोड़ में से उपयोग/व्यय की गई धनराशि रू0 1.99 करोड़ समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 8.26 दिनांक 18.03.2014 व 04.04.2014 को सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या 268/स0वि0प्रा0/लेखा0/2013-14 दिनांक 04.04.2014 के द्वारा आख्या एवं उपयोगिता-गुणवत्ता प्रमाण-पत्रों सहित निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।


वर्तमान में मंवीकला में प्लिन्थ लेवल से ऊपर भौतिक प्रगति वाले 368 भवनों को पूर्ण कराये जाने एवं योजना के विकास कार्य हेतु तैयार किये गये आगणन के अनुसार रू0 1964.51 लाख का व्यय अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2018 को सम्पन्न हुई मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 17.04.2018 में उल्लिखित विवरण के अनुसार निदेशक, आवास बन्धु द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के भवन जो प्लिन्थ लेवल से ऊपर अपूर्ण अवस्था में तथा बड़ी संख्या भवन पूर्ण है, परन्तु इनका आवंटन नहीं हुआ है। इतने बड़े हाउसिंग स्टॉक को अधूरा एवं अनावटित छोड़ देना प्रदेश हित में नहीं है। अतः निर्देशित किया गया कि तृतीय चरण के अन्तर्गत अधूरे पड़े भवनों के निर्माण का कार्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर अवस्थापना निधि के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाये तथा पहले से पूर्ण भवनों को जिलाधिकारी से समन्वय कर आवंटित कराया जाये। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की अवस्थापना निधि में उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त 368 भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध नहीं है। अतः उचित होगा कि उक्त भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु अनुमानित धनराशि रू0 1383.94 लाख तथा अवस्थापना सुविधाओं हेतु रू0 401.98 लाख कुल रू0 1785.92 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अग्रोत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

भवदीय



सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।





प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2284880, 2627021,
फैक्स : 0522-2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 1997/आ.ब.-1/निदेशक-समीक्षा बैठक/2018 लखनऊ, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

प्रेषक,

संजीव कुमार सिन्हा,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र.।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश। |

विषय : प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की "मासिक समीक्षा-समस्या विश्लेषण व निदान" की दिनांक 12.04.2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

कृपया पत्र के साथ सैलंगन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की "मासिक समीक्षा-समस्या विश्लेषण व निदान" की दिनांक 12.04.2018 को सम्पन्न, बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करने का कष्ट करें।

तदकम में, अनुरोध है कि कृपया "मासिक समीक्षा-समस्या विश्लेषण व निदान" में लिये गये निर्णयों की प्रारम्भिक अनुपालन आख्या दिनांक 30.04.2018 तक तथा अंतिम अनुपालन आख्या आगामी बैठक से पूर्व 'आवास-बन्धु' कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सैलंगनक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिन्हा)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग), उ.प्र. शासन को प्रमुख सचिव (महो०) के अवलोकनार्थ सैलंगनक सहित प्रेषित।
2. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र० को तदनुसार सैलंगनक सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन को तदनुसार सैलंगनक सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार सिन्हा)
निदेशक

निजी विकासकर्ताओं की प्रगति-

क्रम सं०	अभिकरण	निर्धारित भवनों का लक्ष्य (संख्या)	प्राप्त डी० पी० आर० के अनुसार भवनों की संख्या	प्रगति प्रतिशत
1	आवास विकास परिषद	30,000	0.00	0.00
2	प्राधिकरण	70,000 (27 प्राधिकरण)	9958 (09 प्राधिकरण)	14.23
योग		1,00,000	9958	9.96

अत्यन्त धीमी प्रगति पर असतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्यों की प्रति पूर्ति हेतु विशेष प्रयास किये जायें तथा अवशेष भवनों की DPR प्रत्येक दशा में 15.05.2018 तक आवास बन्धु कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाये।

(कार्यवाही: आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष, समस्त वि०प्रा०/अध्यक्ष, समस्त वि० क्षेत्र वि०प्रा०/आवास बन्धु)

- (ii) निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना की नीति में आवश्यक संशोधन शीघ्र निर्गत कराये जायें, जिससे कि निजी विकासकर्ताओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही: मुख्य नगर ग्राम नियोजक, उ०प्रा०/आवास बन्धु/आवास अनुभाग-1)

- (iii) कतिपय अभिकरणों द्वारा अवगत कराया गया कि अभिकरण में लैण्ड बैंक न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को कम किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। निर्देश दिये गये कि अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों द्वारा नजूल/ग्राम समाज की भूमि चिन्हित करते हुए मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निःशुल्क भूमि प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये। यह भी अवगत कराया गया कि नजूल/ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क प्राप्त किये जाने हेतु शासनदेश निर्गत कराये जाने की प्रकिया प्रचलित है।

(कार्यवाही: आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष, समस्त वि०प्रा०/सम्बन्धित जिलाधिकारी/आवास अनुभाग-1)

2. सबके लिए आवास की प्रगति समीक्षा-

- (i) समस्त अभिकरणों द्वारा नियोजित EWS/LIG की प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	योजना/भवनों का प्रकार	कुल नियोजित भवनों की संख्या	कुल पूर्ण एवं निर्माणाधीन भवनों की संख्या	कुल आवंटित भवनों की संख्या	नियोजन के सापेक्ष ऐसे भवनों की संख्या जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	पूर्ण निर्माणाधीन भवनों के सापेक्ष आवंटन हेतु अवशेष भवनों की संख्या
1	दुर्बल आय वर्ग	355952	3,37,566	3,28,968	18,386	8,598
2	अल्प आय वर्ग	1,38,009	1,39,637	1,24,670	-	14,967
योग		4,93,961	4,77,203	4,53,638	18,386	23,565

० २५/५ ६

समीक्षा में पाया गया कि 18,386 भवनों पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा 23,565 आवासीय इकाइयों का आवंटन अवशेष है। निर्देश दिये गये कि भवनों का आवंटन यथाशीघ्र कराया जाये।

(कार्यवाही: आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद/उपाध्यक्ष, समस्त वि०प्रा०)

- (ii) मा० काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के सापेक्ष 7146 भवनों का आवंटन तथा आवंटित भवनों के सापेक्ष 5828 भवनों का कब्जा दिया जाना अवशेष है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अभिकरण जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए इनके आवंटन तथा कब्जे दिये जाने की प्रक्रिया को पूर्ण कराये।

(कार्यवाही: आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष, समस्त वि०प्रा०/सम्बन्धित जिलाधिकारी)

- (iii) निदेशक, आवास बन्धु द्वारा अवगत कराया गया कि मा० काशीराम जी शहरी आवास योजना के तृतीय चरण में भवन पिलन्थ लेविल से ऊपर अपूर्ण अवस्था में है तथा बड़ी संख्या में भवन पूर्ण है, परन्तु इनका आवंटन नहीं हुआ है। इतने बड़े हाउसिंग स्टॉक को अधूरा एवं अनावंटित छोड़ देना प्रदेश हित में नहीं है। अतः निर्देशित किया गया कि तृतीय चरण के अन्तर्गत अधूरे पड़े भवनों के निर्माण का कार्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर अवस्थापना निधि के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाये तथा पहले से पूर्ण भवनों को जिलाधिकारी से समन्वय कर आवंटित कराया जाये।

(कार्यवाही: आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष, समस्त वि०प्रा०/सम्बन्धित जिलाधिकारी)

3. हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति प्रगति समीक्षा-

हाईटेक टाउनशिप योजना के अन्तर्गत EWS व LIG की आवासीय इकाइयों के 38494 भवनों के वास्तविक लक्ष्य के सापेक्ष 13871 (36.03%) भवन ही पूर्ण व निर्माणाधीन की स्थिति में है तथा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत EWS व LIG की आवासीय इकाइयों के 13867 वास्तविक लक्ष्य के सापेक्ष 8774 (63.27%) भवन ही पूर्ण व निर्माणाधीन की स्थिति में है तथा पूर्ण व निर्माणाधीन भवनों के सापेक्ष मात्र 4192 (47.78%) आवासीय इकाइयों का ही आवंटन किया गया है। प्रगति पर अत्यन्त खेद व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि कार्य प्रगति को बढ़ाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित निजी विकासकर्ताओं के साथ बैठक कर स्वयं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद/उपाध्यक्ष, सम्बन्धित वि०प्रा०)

4. सम्पत्तियों के निबंधन की प्रगति समीक्षा-

समीक्षा में पाया गया कि 51882 आवासीय व 3769 अनावासीय इकाइयों की सम्पत्तियों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। इस सम्बन्ध उ०प्र० आवास विकास परिषद व आगरा, गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में विशेष कॅम्प लगाकर शीघ्र ही सम्पत्तियों की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण किया जाये। इस सम्बन्ध में भविष्य में रजिस्ट्री का कार्य Online किये जाने जिसमें

ऑन लाइन/कम्प्यूटीकृत किये जाने हेतु इनफारमेशन तकनीकी में दक्ष स्नातक एवं परास्नातक की योग्यता रखने वाले पदों को सम्मिलित किया जाये। निदेशक, आवास बन्धु द्वारा अवगत कराया गया कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-यू0ओ006/आठ-5-18-12 विविध/18 दिनांक 26.02.2018 द्वारा विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के समस्त संवर्गों के पदों को पुनर्गठित किये जाने हेतु समिति गठित की गयी है। निर्देश दिये गये समिति द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव अधितकतम 01 माह में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही: आवास अनुभाग-5)

अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अभिंताम प्रकाश)

विशेष सचिव, /अधिशासी निदेशक
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या:- 1498/आ.व.-1/निदेशक-समीक्षा बैठक/कार्यवृत्त/2018 दिनांक 17 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
2. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

17.4.18
(संजीव कुमार सिन्हा)
निदेशक,
आवास बन्धु, उ0प्र0।

Vikram Singh Josha

M. A. L.L.B. Advocate

Civil Court, Saharanpur- 247001
247001

Rosl. & Office

Gurdwara Road

Saharanpur-

Mob. 9837124008

Date- 11-02-2019

श्रीमान सचिव महोदय,

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

विषय :-

माननीय काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय) चरण की पत्रावली के सम्बन्ध में

महोदय,

उक्त विषय से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2014 तथा तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2014 का अवलोकन किया। दिनांक 14.08.2014 के पश्चात् याची मै0 एस0 एस0 इनफोटेक ने माननीय उच्च न्यायालय में कोई रिट दायर की अथवा नहीं तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2014 के पश्चात् कोई आदेश पारित किया अथवा नहीं, मै0 एस0 एस0 इनफोटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में दाखिल नहीं किया गया है।

मा0 श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अर्नात ग्राम मंवीकला में प्लिंथ लेवल से नीचे भौतिक प्रगति वाले अधूरे पड़े आवासो को प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत पूर्ण किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। अतः शासन के निर्देशो के अनुपालन में उक्त योजनानर्नात अधूरे पड़े आवासो को प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राधीकरण द्वारा योजना का सम्पूर्ण अथवा आंशिक हस्तान्तरण 30 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को किये जाने एवं अपूर्ण भवनो को पूर्ण किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

अतः विधिक अभिमत सेवा में प्रस्तुत है।

AE(S) / Sh. Kaushtik (JE) / Sh. Babra
Sh. Ramay (JE)

कृपया तत्काल ज्ञापना, कार्यवाही

करें
12/2/19
ES

विक्रम सिंह जोशा

प्राधिकरण अधिवक्ता

विक्रम सिंह जोशा

प्राधिकरण अधिवक्ता

2313
11/2/19

SE/scr

EE

सचिव
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर 12/2/19

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 56/07

विषय: सहारनपुर विकास क्षेत्र में नियोजित कालोनियों/तलपट मानचित्रों के भूखण्डों के आमेलन के सम्बन्ध में।

मा० न्यायालय, आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के वाद संख्या 01059/2018 (मैसर्स सी०रॉक बिल्डकॉन प्रा०लि० बनाम सचिव विकास प्राधिकरण) एवं वाद संख्या 01060/2018 (मैसर्स मित्तल लैण्डस्केट डवलपमेंट प्रा०लि० बनाम सचिव विकास प्राधिकरण, सहारनपुर) में पारित आदेश दिनांक 29.11.2018 के आदेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विस्तृत आदेशों में अवर न्यायालय को आदेशित किया गया है कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के पत्र दिनांक 08.10.2018 व 28.11.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया को अपनाते हुए वाद का निस्तारण एक माह में सुनिश्चित करें तथा बोर्ड बैठक में निर्णय हेतु रखें। तत्समय तक भवन की सील की कार्यवाही को स्थगित रखा जाता है।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में पूर्व उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अमालगमेशन के संबंध में पत्र सं० 441/स०वि०प्रा०/बोर्ड बैठक/2018-19 दिनांक 06.07.2018 विषय-सहारनपुर विकास क्षेत्र में नियोजित कालोनियों/तलपट मानचित्रों के भूखण्डों के अभिलेख के संबंध में विस्तृत पत्र का बिन्दुवार उल्लेख करते हुए श्री निलेश कटियार, सहायक नियोजक, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके उत्तर में श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ द्वारा उपाध्यक्ष महोदय को पत्र सं०-1705/व०नि०(1)/स०वि०प्रा०/सी०टी०सी०पी०/2018-19 दिनांक 08.10.2018 को पत्र सं०-1720/व०नि०(1)/गाजियाबाद/07-08 दिनांक 28.01.2008 संलग्न करते हुए प्रेषित किया गया जिसमें 10 बिन्दु विस्तृत रूप से उल्लेखित किये गये हैं। बिन्दु सं०-03 "अमालगमेशन" हेतु प्रस्तावित भूखण्डों में प्रत्येक भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500.00 वर्गमी० होना चाहिए तथा 05 प्रतिशत मूल्य के बराबर अमालगमेशन फीस देय होनी चाहिए।

उपरोक्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ की आख्या से स्पष्ट है कि यदि 500-500 वर्गमी० के भूखण्डों को जोड़ा जाता है तो 05 प्रतिशत सर्किल रेट की फीस लेते हुए अनुमन्य किया जा सकता है।

संबंधित दोनों प्रकरणों, मैसर्स सी०रॉक बिल्डकॉन प्रा०लि० एवं पुष्पेन्द्र कुमार मित्तल में भूखण्डों का क्षेत्रफल 500.00 वर्गमी० से कम है। ऐसी स्थिति में भूखण्डों का अमालगमेशन कर शमन नहीं किया जा सकता।

उक्त प्रकरण मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टीसीजी/1.ए.बी.-5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
संख्या: 1705/व.नि.(1)/स.वि.प्रा./सी.टी.सी.पी./2018-19,

दिनांक: 08.10.2018

सेवा में,

उपाध्यक्ष

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,

सहारनपुर

विषय: सहारनपुर विकास क्षेत्र में नियोजित कालोनियों/तलपट मानचित्रों के भूखण्डों के
आमेलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं. 441/एसडीए-बोर्ड बैठक/ 2018-19
दिनांक: 06.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके साथ सहारनपुर विकास
प्राधिकरण की सम्पन्न हुई बोर्ड बैठक दिनांक 08.06.2018 का कार्यवृत्त, उपाध्यक्ष,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या: 225/सविप्रा./2018 दिनांक:
21.04.2018 के द्वारा गठित समिति की आख्या एवं मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के
पत्रांक: 615/कार्या.उपा./17 दिनांक: 01.11.2017 की छायाप्रतियां संलग्न कर सन्दर्भित
प्रकरण पर विभागीय आख्या की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समान प्रकृति के प्रकरण के सम्बन्ध में
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक: 08.12.2007 में लिये गये निर्णय के
क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ.प्र. द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: 1720/व.नि.
(1)/गाजियाबाद/07-08 दिनांक: 28.01.2008 द्वारा आख्या उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास
प्राधिकरण गाजियाबाद को प्रेषित की गई थी (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त पत्र में अमलगमेशन हेतु प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए उन बिन्दुओं को
प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत कर बोर्ड की संस्तुति के साथ शासन के अनुमोदनार्थ
अग्रसारित करने का उल्लेख किया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते
हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में अग्रिम कार्यवाही
करना चाहें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अनूप कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

7, चन्द्रियाबाग, लखनऊ-226001

संख्या: 1720/चनि(1)/गाजियाबाद/07-08

दिनांक: 20 जनवरी, 2008

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: एक से अधिक भूखण्डों के 'अमालगमेशन' हेतु नियम/उपविधि बनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कीडबोर्ड बैठक दिनांक 8.12.2007 के कार्यवृत्त का अवलोकन करने का कोट करे, जिसके मद संख्या-47 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 'अमालगमेशन' हेतु भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा विस्तृत परीक्षण कर नियम बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001/19 विविध/2001, दिनांक 29 अगस्त, 2002 के अनुसार भूखण्डिय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग अथवा बहुमंजिला निर्माण अनुमत्य नहीं है। विभिन्न नगरों में 'पोटेन्शियल लोकेशन्स' में ऐसी भूमि/भूखण्ड उपलब्ध हैं, जिन पर एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित निर्माण वित्तीय दृष्टि से वॉयबल न होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः ऐसी लोकेशन्स में यदि एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर बड़ा भूखण्ड पुनर्गठित किया जाता है, तो स्वतन्त्र भूखण्ड के बने हुए क्षेत्रफल के आधार पर मू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के अनुसार निर्माण होने से भूमि का समुचित/इष्टतम उपयोग सम्भव हो सकेगा।

3. उपरोक्त के दृष्टिकोण से नियोजन के दृष्टिकोण से भूखण्डों के 'अमालगमेशन' की अनुज्ञा सामान्य रूप से दिया जाना उचित नहीं है, बल्कि निम्न नियमों के अधीन दी जानी चाहिए -

(I) 'अमालगमेशन' हेतु प्रस्तावित समस्त भूखण्ड एक ही भू-उपयोग के अन्तर्गत होने चाहिए, भिन्न प्रकृति के भू-उपयोगों के भूखण्डों का 'अमालगमेशन' अनुमत्य नहीं होना चाहिए।

(II) 'अमालगमेशन' हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का स्वामित्व एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में होना चाहिए।

(III) 'अमालगमेशन' हेतु प्रस्तावित भूखण्डों में प्रत्येक भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होना चाहिए।

(IV) 'अमालगमेशन' हेतु प्रस्तावित भूखण्ड की न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क से पहुँच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(V) सड़क की विद्यमान चौड़ाई 12 मीटर होने पर भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर अनुमत्य होगी चाहिए। सड़क की विद्यमान चौड़ाई 18 मीटर एवं उससे अधिक होने पर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिले भवन निर्माण की अनुमति अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर देय होनी चाहिए। विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित निर्माण (जेन्सिटी/तल क्षेत्रफल) हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं।

(VI) 'अमालगमेशन' अनुमन्य किये जाने की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या: 2438/9-आ-3-98-60 एल.यू.सी./98, दिनांक 13.10.1998 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अधीन प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर ले-आउट प्लान में संशोधन की कार्यवाही की जानी चाहिए। इस हेतु आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने के लिए कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कराकर आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त अन्तिम विज्ञापित भी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जानी चाहिए।

(VII) 'अमालगमेशन' के परिणामस्वरूप सम्बन्धित भूखण्ड पर ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिला निर्माण यथास्थिति महामोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान/ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार ही अनुमन्य होना चाहिए।


(VIII) 'अमालगमेशन' के उपरान्त सम्बन्धित भूखण्ड पर ग्रुप हाऊसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण के फलस्वरूप भूखण्डीय विकास की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर आवासीय इकाईयों की संख्या अधिक होगी अथवा कुल तल क्षेत्रफल अधिक होगा जिसके कारण विद्यमान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ेगा, अतः 'अमालगमेशन' हेतु वर्तमान दर पर आंकलित वाह्य विकास व्यय का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में आवेदक से लिया जाना चाहिए।

(IX) 'अमालगमेशन' हेतु आवेदक द्वारा सम्बन्धित भूमि के वर्तमान सेक्टर रेट/सर्किल रेट (जो भी लागू हो) के 5 प्रतिशत मूल्य के बराबर 'अमालगमेशन' फीस देय होनी चाहिए।

(X) 'अमालगमेशन' के उपरान्त समेकित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर सट बैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., पार्किंग, आदि की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए निर्माण अनुमन्य होना चाहिए।

4. कृपया उपरोक्त नियमावली को प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत कर बोर्ड की संस्तुति शासन के अनुमोदनार्थ अप्रसारित करने का कष्ट करें।


भवदीय,


28.1.08
(एन.आर. वर्मा)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

संख्या एवं दिनांक : तद्वत्।

प्रतिलिपि अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


28.1.08
(एन.आर. वर्मा)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 56/08

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 का दिनांक 31.01.19 तक वास्तविक आंकड़े वर्ष 2018-19 पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान की स्वीकृति के संबंध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दिनांक 31.01.2019 तक वास्तविक एवं वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रस्तावित आंकड़े एवं वर्ष 2017-18 की बैलेन्स शीट मा0 बोर्ड के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि यथोचित विचारोपरान्त प्रस्तुत आंकड़ों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

41.

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

वर्ष 2018-19 के दिनांक 31.01.19 तक वास्तविक आकड़े एवं वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित तथा वर्ष 2019-20 के प्रस्तावित आय-व्यय पर संक्षिप्त टिप्पणी।

1- राजस्व प्राप्तियों :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रू0 3474.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 31.01.19 तक रू0 1041.32 लाख की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित रू0 3524.00 एवं वर्ष 2019-20 में रू0 3599.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

2- पूंजीगत प्राप्तियों :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान रू0 4160.50 लाख के सापेक्ष दिनांक 31.01.19 तक रू0 1041.40 लाख की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित रू0 2735.50 एवं वर्ष 2019-20 में रू0 2735.50 लाख का प्राविधान किया गया है।

3- राजस्व व्यय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय का बजट अनुमान रू0 779.35 लाख के सापेक्ष दिनांक 31.01.19 तक रू0 405.03 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित रू0 823.35 लाख एवं वर्ष 2019-20 में रू0 823.35 लाख का प्राविधान किया गया है।


4- पूंजीगत व्यय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय का बजट अनुमान रू0 8741.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 31.01.19 तक रू0 1459.42 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित रू0 7141.00 एवं वर्ष 2019-20 में रू0 7136.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के मूल बजट का अनुमान रू0 2200.00 लाख व्यय का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 31.01.19 तक रू0 1187.34 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी रू0 2200.00 लाख का प्राविधान रखा गया है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2018-19 में मूल बजट में रू0 1000.00 लाख का प्राविधान रखा गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 31.01.19 तक रू0 272.08 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी रू0 1000.00 लाख के व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

क्र.सं०	विवरण	वारताविक आकडे वर्ष 2017-18	मूल (बजट)आय व्ययक के आकडे वर्ष 2018-19	वारताविक आकडे 31.01.19 तक	पुनरीक्षित (बजट) आय व्ययक वर्ष 2018-19	आय व्ययक प्राप्तियान वर्ष 2019-20
1	2	3	4	5		7
1.	प्रारम्भिक अवशेष	3,710.08	4,062.04	4,062.04	4,062.04	3,430.31
2.	राजस्व प्राप्तियां	1,206.31	3,474.00	1,041.32	3,524.00	3,599.00
3.	पूंजीगत प्राप्तियां	432.48	4,160.50	191.40	2,735.50	2,785.50
4.	योग	1,638.79	7,634.50	1,232.72	6,259.50	6,384.50
5.	प्रारम्भिक अवशेष जोडकर कुल प्राप्तियां	5,348.87	11,696.54	5,294.76	10,321.54	9,814.81
6.	राजस्व व्यय	418.53	779.35	405.03	823.35	823.35
7.	पूंजीगत व्यय	868.30	8,741.00	1,459.42	7,141.00	7,136.00
8.	कुल व्यय	1,286.83	9,520.35	1,864.45	7,964.35	7,959.35
9.	अंतिम अवशेष	4,062.04	2,176.19	3,430.31	2,357.19	1,855.46


 वित्त एव लेखाधिकारी/सचिव
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर


 सहायक,
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर

आय

क्र. सं.	आय का शीर्षक (कैश इनप्लो)	वास्तविक आंकड़े वर्ष 2017-18	मूल (बजट)आय व्ययक के आंकड़े वर्ष 2018-19	वास्तविक आंकड़े 31.01.19 तक	पुनरीक्षित (बजट) आय व्ययक वर्ष 2018-19	आय व्ययक प्राविधान वर्ष 2019-20
	प्राप्तियां					
1	भवन निर्माण / कार-क्रय अग्रिम की वसूली		1.00		1.00	1.00
2	मानचित्र प्रस्तुतिकरण शुल्क	3.68	28.00	4.11	28.00	28.00
3	सुदुडीकरण शुल्क	55.86	420.00	81.77	420.00	450.00
4	शमन शुल्क (भू उपविभाजन शुल्क सहित)	223.58	620.00	206.97	600.00	620.00
5	विकास शुल्क	171.44	550.00	374.19	550.00	550.00
6	भू - उपयोग शुल्क	67.09	55.00	86.43	100.00	100.00
7	लाईसेन्स शुल्क	7.19	10.00		10.00	10.00
8	पार्क अधिभार	4.54	35.00	1.40	35.00	35.00
9	प्रभाव शुल्क	74.91	300.00	41.35	300.00	300.00
10	स्टाम्प ड्यूटी	215.21	1,000.00		1,000.00	1,000.00
11	ब्याज (सेविंग एव सावधि) बैंक खाते	50.59	50.00	52.82	75.00	100.00
12	ब्याज (अवस्थापना निधि) बैंक खाते/एफ डी आर/अन्य	274.06	300.00	167.26	300.00	300.00
13	निरीक्षण शुल्क	9.84	35.00	10.56	35.00	35.00
14	अम्बार शुल्क	38.33	40.00	10.78	40.00	40.00
15	अन्य आय (टेण्डर सेल)	9.45	15.00	1.96	15.00	15.00
16	सड़क अधिभार	0.54	15.00	1.72	15.00	15.00
17	अग्रिम प्राप्ति (समायोजन)					
	योग	1,206.31	3,474.00	1,041.32	3,524.00	3,599.00
	पूँजीगत प्राप्तियां					
18	टी पी नगर किस्त पर ब्याज		25.00		25.00	25.00
19	ब्याज (सेविंग सावधि) बैंक खाते टी पी नगर	23.45	50.00		50.00	50.00
20	सम्पति पंजीकरण(नयी योजना)		50.00		50.00	100.00
21	दैन्ये योजना किस्त		0.50		0.50	0.50
22	भूखण्डों की बिक्री से आय (टी पी नगर किस्त प्राप्तियां)	394.85	1,000.00	129.73	1,000.00	1,000.00
23	ऋणों की प्राप्ति (नयी योजना के लिए)		1,500.00		1,500.00	1,500.00
24	सामुदायिक केन्द्र प्राप्तियां	1.13	10.00	2.49	10.00	10.00
25	सेल्टर फीस	13.05	25.00	59.18	100.00	100.00
26	प्रधानमन्त्री आवास योजना केन्द्रांश		750.00		-	-
27	प्रधानमन्त्री आवास योजना राज्यांश		750.00		-	-
	योग	432.48	4,160.50	191.40	2,735.50	2,785.50
	कुल योग	1,638.79	7,634.50	1,232.72	6,259.50	6,384.50
	प्रारम्भिक अवशेष	3,710.08	4,062.04	4,062.04	4,062.04	3,430.31
	प्रारम्भिक अवशेष के साथ योग	5,348.87	11,696.54	5,294.76	10,321.54	9,814.81


वित्त एवं लेखाधिकारी/सचिव
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

२५१

क्र.सं.	व्यय का शीर्षक (कैश आऊट फली)	वास्तविक आकड़ें वर्ष 2017-18	मूल (बजट)आय व्ययक के आंकड़ें वर्ष 2018-19	वास्तविक आंकड़े 31.01.19 तक	पुनरीक्षित (बजट) आय व्ययक वर्ष 2018-19	आय व्ययक प्राविधान वर्ष 2019-20
	प्रशासनिक व्यय					
1	वेतन महगाई भत्ता सी पी एफ आदि	352.34	400.00	339.17	420.00	450.00
2	पेशन अंशदान		10.00		25.00	25.00
3	बोनस	0.91	2.00	1.19	2.00	2.00
	योग	353.25	412.00	340.36	447.00	477.00
4	यात्रा व्यय	5.28	8.00	4.28	12.00	15.00
5	विद्युत एवं जनरेटर	6.12	12.00	6.28	12.00	12.00
6	टेलीफोन	1.85	4.00	1.30	4.00	4.00
7	प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी	1.12	5.00	1.73	5.00	5.00
9	वाहन रखरखाव व्यय / बीमा	0.61	20.00		20.00	20.00
10	चिकित्सा व्यय	14.85	15.00	10.52	15.00	15.00
	नया वाहन क्रय हेतु	1.97	4.00	2.80	4.00	5.00
	योग		10.00		10.00	10.00
	आडिट फीस, लीगल फीस इत्यादि	31.80	78.00	26.91	82.00	86.00
	आडिट फीस					
13	लीगल फीस	0.18	15.00		15.00	15.00
14	लेख रखरखाव/प्रोफेशनल फीस	2.82	15.00	2.72	15.00	15.00
	योग	2.23	2.00		2.00	2.00
	कार्यालय व्यय	5.23	32.00	2.72	32.00	32.00
	कार्यालय रखरखाव एवं मरम्मत/क्रय	1.95	25.00	2.24	25.00	20.00
16	फोटो स्टेट व्यय	0.27	2.00	0.42	2.00	2.00
17	जल पान व्यय	1.53	2.00	1.47	2.00	2.00
	भवनकर/ जलकर		0.25		0.25	0.25
19	युनिफार्म व्यय		0.10		0.10	0.10
20	एल टी सी		2.00		2.00	2.00
	फर्नीचर पर व्यय	2.05	5.00	0.56	5.00	5.00
22	कम्प्युटर पर व्यय	0.84	3.00		3.00	3.00
	आफिस उपकरण व्यय	1.51	8.00	3.25	8.00	8.00
24	टूल्स एव मशीनरी व्यय/वेब साईट	6.66	15.00		15.00	15.00
25	डाक व्यय	0.43	1.00	0.22	1.00	1.00
	योग	15.24	63.35	8.16	63.35	58.35
	अन्य व्यय					
26	अन्य व्यय	4.24	7.00	1.44	7.00	7.00
	नगर पालिका परिषद (अम्बार शुल्क)		50.00	10.00	50.00	50.00
28	आवास बन्धु अंशदान	1.20	2.00	1.20	2.00	2.00
29	मास्टर प्लान/जोनल प्लान/सर्वे		30.00		30.00	30.00
	वृक्षारोपण		15.00	11.81	20.00	20.00
1	कर्मचारी एव अन्य को अग्रिम /		5.00		5.00	5.00
2	सामुदायिक केन्द्र का रखरखाव	2.69	5.00	2.43	5.00	6.00
	आयकर भुगतान/सर्विस टैक्स	4.88	80.00		80.00	50.00
	योग	13.01	194.00	26.88	199.00	170.00
	कुल योग	418.53	779.35	405.03	823.35	823.35

वित्त एव लेखाधिकारी/सचिव
सहारनपुर विकास प्राधिकरण


उपस्थित

10	व्यय का शीर्षक (आकृत पत्तो)	वार्षिक आकड़े वर्ष 2017-18	मूल (बजट)आय व्ययक नो आकड़े वर्ष 2018-19	वार्षिक आकड़े 31.01.19 तक	पुनरीकृत (बजट) आय व्ययक वर्ष 2018-19	आय व्ययक प्राधिकार वर्ष 2019-20
	पूजीगत व्यय					
34	अवस्थापना विकास कार्य/पार्को के जीर्णद्वार/विज्ञापन	343.47	2,200.00	1,187.34	2,200.00	2,200.00
35	टेकेंदरो से प्राप्त जमानत की राशि वापसी/अन्य व्यय योग		15.00		15.00	15.00
36	मुमि क्रय ई डबलू एस योजना (Affordable Housing)	343.47	2,215.00	1,187.34	2,215.00	2,215.00
37	निर्माण कार्य ई डबलू एस योजना(Affordable Housing)		10.00		10.00	10.00
38	मुमि क्रय नयी आवासीय योजना/एस एल ओ		150.00		150.00	150.00
39	नयी आवास योजना में विकास कार्य	85.62	1,500.00		1,500.00	1,500.00
40	प्रधानमन्त्री आवास योजना पर व्यय योग		2,000.00		2,000.00	2,000.00
41	नवीन कार्यालय के निर्माण हेतु / कर्मचारी आवास हेतु योग	85.62	5,160.00		3,660.00	3,660.00
42	टी पी नगर पजीकरण शुल्क वापसी		300.00		200.00	200.00
43	बेम्बे योजना पजीकरण शुल्क वापसी		10.00		10.00	10.00
44	पजीकरण शुल्क पर व्याज की वापसी (टी पी नगर)		1.00		1.00	1.00
45	टी पी नगर एक मुश्त भुगतान पर छूट योग		50.00		50.00	50.00
	टी पी नगर योजना में निर्माण कार्य योग	439.21	1,000.00	272.08	1,000.00	1,000.00
	कुलयोग	439.21	1,000.00	272.08	1,000.00	1,000.00
	योग	868.30	8,741.00	1,459.42	7,141.00	7,136.00
	अन्तिम अवशेष	1,286.83	9,520.35	1,864.45	7,964.35	7,959.35
	अन्तिम अवशेष के साथ योग	4,062.04	2,176.19	3,430.31	2,357.19	1,855.46
		5,348.87	11,696.54	5,294.76	10,321.54	9,814.81

वित्त एय लेखाधिकारी/साचिव
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

Form No. 3CB
[See Rule 6G (I) (b)]

Audit Report Under Section 44 AB Of The Income Tax Act 1961, in The Case Of A Person Referred to In Clause (b) Of Sub-Rule (1) Of Rule 6G.

We have examined the Balance Sheet as at 31.3.2018 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date, attached herewith, of SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, NEAR GANNA BHAWAN, HAQIQAT NAGAR SAHARANPUR - 247001, PAN. no. AAALS0359L

1. These financial statements are the responsibility of the firm management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards required that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by firm management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

2. We certified that the balance sheet and the profit and loss account income and expenditure account are in agreement with the books of account maintained at the head office at Haqiqat Nagar Saharanpur -247001.

3. (a) we report the following observations / comments / discrepancies / inconsistencies; if any;
(b) Subject to above: -

(A) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the Audit.

(B) In our opinion, proper books of accounts have been kept by the office of the assessee so far as appears from our examination of books.

(C) In our opinion and to the best of our information and according to the examination given to us, the said accounts, read with notes and Accounting Policies thereon, attached herewith give a true and fair view

(i) In the case of the Balance Sheet, of the state of the affairs of the assessee as at 31.3.2018, and

(ii) In the case of the Profit & Loss account, of the Profit / Loss of the assessee for the year ended on that date.

The statement of particulars required to be furnished under section 44AB is annexed herewith in form No. 3CD.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the particulars given in the said form No. 3CD and annexure thereto are true and correct.

For GUNJAN GARG & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(GUNJAN GARG)
FCA

Date:- 17-09-2018
Place:- Saharanpur



Form No. 3CD
[See Rule 6G (2)]


Statement of particulars required to be furnished under Section 44AB of the Income -tax Act,1961

PART A

1.	Name of the Assessee	SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
2.	Address	Near Ganna Bhawan, Haqiqat Nagar, Saharanpur-247001
3.	Permanent Account Number	AAALS0359L
4.	Status	Local Authority
5.	Previous year ended	31 st March 2018
6.	Assessment year	2018-2019

PART B

7.a	If firm or Association of Persons, indicate names of partners/members and their profit sharing ratios	N.A.
b	If there is any change in the partners/ members / or their profit-sharing ratios, since the last date of the preceding year, the particulars of such change.]	N.A.
8.	Nature of business or profession(if more than one business or profession is carried on during the previous year, nature of every business or profession)	Government Development Authority Public utility services
b.	If there is any change in the nature of business or profession, the particulars of such change.	There is no change in the nature of Activity (Development work)carried on by the assessee compared to the last year.
9.a	Whether books of accounts are prescribed under section 44AA, if yes, list of books so prescribed.	No specific books of account are prescribed under section 44AA in case of the business of the assessee.
b.	Books of account maintained. (In case books of account are maintained in a computer system, mention the books of account generated by such computer system)	Cash Book, Ledger, Journal on computer system
c.	List of books of account examined .	List of book maintained and examined by us is as above
10.	Whether the profit and loss account includes any profits and gains assessable on presumptive basis, if yes, indicate the amount and the relevant section (44AD, 44AE, 44AF, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, or any other relevant section).	No
11.	Method of account employed in the previous year.	Mercantile as per accounting polices attached.
b.	Whether there has been any change in the method of accounting employed vis-à-vis the method employed in the immediately preceding previous year.	NO
c.	If answer to (b) above is in the affirmative, give details of such change, and the effect thereof on the profit or	N.A.



	loss.	
d.	Details of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145 and the effect thereof on the profit or loss.	N.A.
12. a.	Method of valuation of closing stock employed in the previous year.	There is no such deviation as items referred to in section 145A are record in the accounts including of tax, duty etc.
b.	Details of deviation if any from the method of valuation prescribed under section 145A. and the effect thereof on the profit or loss	NO
(12) A	Give the following particulars of the capital asset converted into stock-in-trade :- (e) Description of capital asset (f) Date of acquisition (g) Cost of Acquisition (h) Amount at which the asset is converted into Stock in trade	NO
13.	Amounts not credited to the profit and loss account, being :-	
a.	the items falling within the scope of section 28.	Profit from Government Development Authority Public utility services
b.	the Performa credits , drawbacks, refunds of duty of customs or excise or refunds of sales tax, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned;	Nil
c.	escalation claims accepted during the previous years;	Nil
d.	any other item of income;	Nil
e.	capital receipt, if any.	Nil
14.	Particulars of depreciation allowable as per the Income tax Act, 1961 in respect of each asset or block of assets, as the case may be, in the following form:-	As per schedule A attached
a.	Description of asset/block of assets	
b.	Rate of depreciation.	
c.	Actual cost or written down value, as the case may be.	
d.	Additions/deductions during the year with dates; in the case of any addition of an assets, date-put to use; Including adjustments on account of-	
(i)	Modified Value Added Tax credit claimed and allowed under the Central Excise Rules 1944, in respect of assets acquired on or after 1 st March 1994.	
(ii)	Change in rate of exchange of currency, and	
(iii)	Subsidy or grant or reimbursement by what ever name called.	
e.	Depreciation allowable @ 15%	
f.	Written down value at the end of the year.	



15.	Amounts admissible under sections-33AB, 33ABA, 33AC, 35, 35ABB, 35AC, 35CCA, 35CCB, 35D, 35DD, 35DDA, 35E]	NIL
a.	debited to the profit and loss account (showing the amount debited and deduction allowable under each section separately);	NIL
b.	not debited to the profit and loss account	NIL
16.	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [Section 36 (i) (ii)]	Not any
a.		
b.	Any sum received from employees towards contributions to any provident fund or superannuating fund or any other fund mentioned in section 2(24) (x); and due date for payment and the actual date of payment to the concerned authorities under section 36(1) (v a)	As per annexure A
17.	Amounts debited to the profit & loss account being:-	NIL
a.	expenditure of capital nature;	NIL
b.	expenditure of personal nature;	NIL
c.	expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party;	Nil
d.	expenditure incurred at clubs:-	
(i)	as entrance fees and subscriptions;	Nil
(ii)	as cost for club services and facilities used;	Nil
e.	expenditure by way of penalty or fine for violation of	
(i)	any law for the time being in force;	Nil
(ii)	any other penalty or fine;	Nil
(iii)	expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law;	Nil
f.	amount inadmissible under section 40 (a);	Nil
g.	interest, salary, bonus, commission or remuneration inadmissible under section 40(b)/40(ba)and computation thereof;	Nil
h.	whether a certificate has been obtained from the assessee regarding payment relating to any expenditure covered under section 40A(3) that the payment were made by account payee cheque drawn on the bank draft, as the case may be ; [yes, no]	YES
(a)		
(b)	amount inadmissible under section 40A (3) read with rule 6DD & computation thereof [with break-up of inadmissible amounts]	As per certificate given by the party and our test check no payment in made in cash above Rs. 20000/- accept bank deposit and government deposit.
i.	Provision for payment of gratuity not allowable under section 40A (7);	Nil



j.	any sum paid by the assessee as an employer not allowable under section 40A (9);	Nil
k.	particulars of any liability of a contingent nature.	Nil
l.	amount of deduction inadmissible in terms of section 14A in respect of the expenditure incurred in relation to income which does not form part of the total income	Not any
m.	amount inadmissible under the proviso to section 36(1)(iii)	No such entry on our test check
18.	Particulars of payments made to persons specified under section 40A (2) (b).	Not unreasonable
19.	Amount deemed to be profit and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC.	Nil
20.	Any amount of profit chargeable to tax under section 41 and computation thereof.	Nil
21. (i)	In respect of any sum referred to in [clause (a), (c), (d), (e) or (f) of section 43B], the liability for which	Nil
A	pre-existed on the first day of the previous year but was not allowed in the assessment of any preceding previous year and was	Nil
a.	paid during the previous year;	-
b.	not paid during the previous year;	-
B.	was incurred in the previous year and was:	-
a.	paid on or before the due date for furnishing the return of income of the previous year under section 139(1)	-
b.	not paid on or before the aforesaid date.	Nil
(ii)	In respect of any sum referred to in clause (b) of section 43B, the liability for which-	-
A	Pre-existed on the first day of the previous year but was not allowed in the assessment of any preceding previous year;	Nil
(a)	nature of liability :	-
(b)	due date of payment under second proviso to section 43B	-
(c)	actual date of payment;	-
(d)	if paid otherwise than in cash, whether the sum has been realized within fifteen days of the aforesaid due date;	-
B	was incurred in the previous year:	Nil
(a)	nature of liability :	-
(b)	due date of payment under second proviso to section 43B	-
(c)	actual date of payment;	-
(d)	if paid otherwise than in cash, whether the sum has	-



	been realized within fifteen days of the aforesaid due date;	
	*State whether sales tax, customs duty, excise duty or any other indirect tax, levy, Cess, impost, etc., is passed through the profit and loss account.	-
22.	Amount of Modified Value Added Tax credits availed of or utilized during the previous year and its treatment in the profit and loss account and treatment of outstanding Modified Value added Tax credits in the accounts.	N.A.
(a)	Particulars of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account.	Nil
23.	Details of any amount borrowed on hundi or any amount due thereon (including interest on the amount borrowed) repaid, otherwise than through an account payee cheque. [Section 69D]	Nil
24.	*Particulars of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269SS taken or accepted during the previous year:-	
(a)	name, address and permanent account number (if available with the assessee) of the lender or depositor;	NIL
(i)	amount of loan or deposit taken or accepted;	-
(ii)	whether the loan or deposit was squared up during the previous year;	-
(iii)	maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year;	-
(iv)	whether the loan or deposit was taken or accepted otherwise than by an account payee cheque or an account payee bank draft.	-
(v)	(These particulars need not be given in the case of a Government company, a banking company or a corporation established by a Central, State or Provincial Act.)	
(b)	Particulars of each repayment of loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269T made during the previous year:-	
(i)	name, address and permanent account number (if available with the assessee of the payee;)	
(ii)	amount of the repayment;	
(iii)	maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year;	
(iv)	whether the repayment was made otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft.	



(c)	[Whether a certificate has been obtained from the assessee regarding taking or accepting loan or deposit or repayment of the same through an account payee cheque or an account payee bank draft.[Yes/No] The particulars (i) to (iv) at (b) and the certificate at (c) above need not be given in the case of a repayment of any loan or deposit taken or accepted from government company, banking company or a corporation established by a central, state or Provincial Act]	YES
25	Details of brought forward loss or depreciation allowance, in the following manner to the extent available:	N.A.

Serial No	assessment year	nature of loss allowance (in Rupees)	amount as returned (in Rupees)	Amount as assessed (give reference to relevant order)	Remarks
-----------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	---------

N.A.

25b	[Whether a change in shareholding of the company has taken place in the previous year due to which the losses incurred prior to the previous year cannot be allowed to be carried forward in terms of section 79.]	N.A.
26.	Section-wise details of deductions, if any, admissible under Chapter VI-A.	Yes, the assessee has paid the amount so deducted to credit of the central govt. in accordance with the provision chapter xvii-B
27. a.	Whether the assessee has deducted tax at source and paid the amount so deducted to the credit of the Central Government in accordance with the provisions of Chapter XVII-B :	The tax is deposited to the Govt. account as per list attached.
b.	If the answer to (a) above is in negative, then give the following details :	N.A.
27. a.	[Whether the assessee has complied with the provisions of Chapter XVII-B regarding deduction of tax at source and regarding the payment thereof to the credit of the central Government [YES/ NO]	Complied as per list attached.



b.	If the provisions of Chapter XVII-B have not been complied with, please give the following details : namely:- (C) Tax deductible and not deducted at all (D) shortfall on account of lesser deduction than required to be deducted (C) tax deducted late (E) tax deducted but not paid to the credit of the central Government	No such case come to our notice
----	--	---------------------------------

Sr. No.	Particulars of head under which tax is deducted at source	Amount of tax deducted at source (in rupees)	Due date for remittance to Government	Detail of payment Date amount (in rupees)	Remarks
28.a	in the case of a trading concern, give quantitative details of principal items of goods traded :				
(i)	Opening stock;				N.A.
(ii)	Purchases during the previous year				
(iii)	Sales during the previous year;				
(vi)	Closing Stock;				
(v)	shortage/excess, if any;				
b.	In the case of an manufacturing concern, give quantitative details of the principal items of raw materials, finished products and by products :				N.A.
A.	Raw materials :				N.A.
(i)	Opening stock;				
(ii)	Purchases during the previous year				
(iii)	consumption during the previous year;				
(iv)	Sales during the previous year;				
(v)	Closing Stock;				
(vi)*	yield of finished products;				
(vii)*	percentage of yield ;				
(viii)*	shortage/excess, if any				
B.	Finished products/By-Products:				N.A.
(i)	Opening stock;				
(ii)	Purchases during the previous year				
(iii)	quantity manufactured during the previous year;				
(iv)	Sales during the previous year;				
(v)	Closing Stock;				
(vi)	shortage/excess, if any				
	*Information may be given to the extent available.				
29.	In the case of a domestic company, detail of tax on distributed profit under section 115-O in the following form:-				N.A.
a.	total amount of distributed profit				



b	total tax paid thereon;	
c	date of payment with amounts.	
30.	Whether any cost audit was carried out, if yes, enclose a copy of the report of such audit [Section 139(9)]	N.A.
31.	Whether any audit was conducted under the Central Excise Act, 1944, if yea, enclose a copy of the report of such audit	N.A.
32.	Accounting ratios with calculations as follows:	
a.	Gross profit/ Turnover;	No business operation hence Not Applicable
b.	Net profit/ Turnover;	
c.	Stock in Trade/ Turnover;	
d.	Material consumed /Finished goods produced	

FOR GUNJAN GARG & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(Gunjan Garg)

FCA

Place : SAHARANPUR

Date : 17-09-2018



बिला एच. सिन्हा
साहानपुर विकास प्राधिकरण
साहानपुर

Note :- *This has to be signed by the person competent to sign Form No. 3CA or Form No. 3CB; as the case may be.


सहायक
साहानपुर विकास प्राधिकरण
साहानपुर


26/09/18
26/09/18

Accounting Policies & Notes to the account (2017-2018)

1. The financial statement are prepared under the historical cost convention and assuming the principles of going concern. The statement have been prepared on mercantile system and all income & expenditure having a material bearing on the financial statements are recognized on accrual basis to the extent possible and ascertainable. The receipts of income are booked according to the law frame for Development Authorities by Government of Utter Pradesh.
2. The preparation of financial statements is conformity with GAAP requires estimates and assumptions of be made that affect the reported amounts of assets and liabilities on the date of financial statements , the reported amounts of revenues and expenses during the reported period and the disclosures relating to contingent liabilities as of the date of the financial statements. Difference between actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialize.
3. Fixed assets are recorded at cost of acquisition or construction , net of CENVAT/ VAT/GST and include amounts added/ reduced on revaluation , less accumulated depreciation and impairment loss, if any. The cost of fixed assets includes interest on borrowings attributable to acquisition of fixed assets up to the date of commissioning of the assets and the incidental expenses incurred up to the date. Fixed Assets acquired and put to use for project purpose are capitalized Project under commissioning and other Capital Work in Progress are carried at cost, comprising direct cost; related incidental expenses and attributable interest.
4. Intangible assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization.
5. Investments are classified into current and Long term Investment" Current Investments are stated at lower of cost and fair value. Long-term investments are stated at cost Provision for diminution in the value of Long - term investments is made only if such a decline is other than temporary.
6. Depreciation on fixed asset is provided pro-rata to the period of use, on the written down value (WDV) . The depreciation rates for all assets up to the year ended March 2018 are as per Schedule XIV of the Companies Act. 1956, Effective from April 1, 2017 , Depreciation is charged on the basis of useful life of the fixed assets on pro-rata basis. The company has adopted useful life of assets as given in Part-C of schedule II of the Companies Act, 2013
7. The Saharanpur Development Authority is created by government of Utter Pradesh, vide notification no.1347/IX-AVAS-5-9568-DA-83 dated May 3, 1995, for the Saharanpur Development area declared under notification no.- 721/IX-Avas-5-95-68DA-833.
8. The purpose of expenditure shown in the attached income & expenditure account.
 - a. Making the master plan by earmarking the agriculture, commercial, industrial and residential area of the city, so that any of those do not mix up and create problem to each other.




 अध्यक्ष एवं निदेशाधिकारी
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर


 उपाध्यक्ष
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर

- b. Make rules of construction in all areas, like in residential colonies deciding area in roads , area in parks, area in plots and thereafter total construction area in a plot, built-up and non built-up area, no of floors, setbacks etc.
- c. Ensure proper development of roads and parks, sewerage lines, electric poles in residential colonies and similar provisions in other sectors.
9. The Development Authority is developing Transport Nagar for the transporters under systematic development of the targeted area. During the year the transport nagar plots were sold the total cost of development is estimated to Rs. NIL lacs. The selling price includes all receipts from the allottees. The cost price includes the land cost on the basis of actual acquisition cost, development charges is based on revision at every year in budget plan. The net surplus of Rs. NIL lacs transfer to infrastructure development account as explained that surplus money if any will be used for the development of area. The net amount paid to land owners taking as land cost of Transport Nagar, while sum cases of higher compensation is still pending before the court of law.

In the current year the receipts from attottees of T.P. Nagar on account of documentation charges, freehold charges, interest from allottees, lease charges & water line charges amounting to Rs. NIL is taken in income side of Income & Expenditure a/c like wise discount allowed to T.P. nagar amounting to Rs. NIL is also taken in the expenditure side of Main Account.

10. The development work done under infrastructure development account (Nidhi) are recognized on "work certification" basis.
11. The interest earned on infrastructure development account is Rs. 2,74,06,355.00 in the previous year. The authority has capitalized this amount in infrastructure development account, as the interest earned from such account does not relate to Saharanpur Development Authority and is thus, not a part of income of Saharanpur Development Authority. Cases against this is pending at different level of income tax authority and High courts.
12. The city development account is also framed separately for development of the prescribed area as per the guideline issued by State Government.
13. The authority is directed by state government by GO No. 152/9-Aa-1998 Lucknow dated Jan 18, 1998, to developed "Infrastructure Development Fund" and directed to Keep separately of this fund.

Development authority keep this fund separately and not routed this fund from profit & loss account. During the year Rs. 8,75,10,458.18 Is transferred to this fund and an expenditure of Rs. 3,43,46,791.00 has been incurred for the development as per objective of the authority. All other running activities are uncertified hence not taken into account.




[Signature]
 वित्त एवं संपादिकार
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर


[Signature]
 सहायक
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR , SAHARANPUR
COMPUTATION OF TAXABLE INCOME

FINANCIAL YEAR - 2017-2018

PARTICULARS	AMOUNT(RS.)
(A) INCOME AS PER EXPENDITURE ACCOUNT	
By Application & Plan Fee	367,652.00
By Betterment Fee	558,617.73
By Compound Fee	11,179,331.40
By Development Fee	1,714,400.59
By Road Surcharge	54,149.00
By Stamp Duty	4,781,018.20
By Impact Fees(Prabhav fees)	749,089.30
By Land Sub-Division Fee	670,888.27
By Park Surcharge	453,734.00
By Supervision Fee	984,501.28
By Sale of Books/Tender form	223,125.00
By Misc. Income	556,361.15
By Ambar Fees	1,053,297.76
By Prior Period Income	2,779,860.13
By Licence Fee /Reg Draftman	718,500.00
By Interest on Flexi 140/PNB	2,344,905.00
By Interest (SB & FDR)	2,752,845.80
By Other Interest/ File	2,306,377.00
By Community Centre	112,900.00
By Conyance facility	20,000.00
TPN Tower Rent	105,167.00
TPN Surcharges	40,756.00
	34,527,476.61
(B) Less :- Amount Set apart U/s 11(1)(a) (A+B) @ 15%	5,179,121.49
Total Income to be applied (previous year 2016-17)	29,348,355.12
Add:- Amount Set apart U/s 11(1) in the previous year now received	-
Total	29,348,355.12
Less :- Amount Set apart U/s 11(1) Explanation 2 (Stamp duty have not received during the year)	
Total	29,348,355.12


 सहायक विकास अधिकारी
 साहारनपुर विकास प्राधिकरण
 साहारनपुर


 सहायक
 साहारनपुर विकास प्राधिकरण
 साहारनपुर

(D) Application (Expenditure

(I) Amount applied for charitable purpose
in india in previous year Revenue

PARTICULARS	AMOUNT(RS.)
To Advertisement Exp.	61,405.00
To Bank Charges	18,037.96
To Books	570.00
To Communication	184,799.00
To Contri to Awas Bandhu	120,000.00
To Depriecation	1,414,216.00
To Electricity & Generator Exp.	612,450.00
To Meeting/ Entertain/ Function	152,811.00
To Medical Exp.	196,965.00
To Misc. Exp.	322,627.00
To Photostate Expenses	26,554.00
To Postage Expenses	43,095.00
To Printing & Stationery	112,347.00
To Professional Charges	136,831.00
To Audit Fee (Local Audit)	18,831.00
To Accounting Charges	93,385.00
To Legal Exp.	282,192.00
To Repair & Maint(computer)	108,166.00
To Repair & Maint(Equip)	6,500.00
To Repair & Maint(Others)	79,842.00
To On Line Map Software /Website	317,350.00
To Travelling Exp.	528,090.00
To Vehicle Running (Fuel & Repair)	1,484,974.00
To Interest paid on TDS / Other	27,520.00
To Community Centre	269,161.00
To Bonus	90,988.00
To DA / ADA Allowance	1,018,142.00
To HRA/CA/MA Allowance	1,327,196.00
To Basic Salaries/deput/ Daily	30,850,280.00
To Pensionery & Leave contri.	1,741,170.00
To CPF Contribution	205,704.00
To Employee Contribution	92,222.00
To Service Tax / GST	459,606.00
To Audit Recovery	82,867.00
Total	- 42,486,893.96
(ii) Amount Applied for charitable puspose in India in Previous year - Capital items)	788,473.00
Total	43,275,366.96
Net Amount applied for Chartiable prupose in India in previous year	43,275,366.96
Net Extra Application of Fund	(13,927,011.84)

वित्त एवं प्रशासिकाणी
सहायनपुत्र विकास प्राधिकरण
सहायनपुत्र

उपाध्यक्ष
सहायनपुत्र विकास प्राधिकरण
सहायनपुत्र

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR
BALANCE SHEET AS ON 31.3.2018

LIABILITIES	AMOUNT (2016-17)	AMOUNT (2017-18)	ASSETS	AMOUNT (2016-17)	AMOUNT (2017-18)
Capital Fund			FIXED ASSETS		
As per last Balance Sheet	31,612,019.42	37,748,472.59	As Per Schedule A	11,536,054.45	10,910,311.45
Total	31,612,019.42	37,748,472.59	Land for Darakodtala swad	799,200.00	799,200.00
Add :Excess of income			Land at sadak Dudhilli	2,106,144.00	2,106,144.00
Over Expenditure	6,136,453.17	(7,959,417.35)	New Land		8,562,055.00
Total	37,748,472.59	29,789,055.24	CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCE		
Government Grant	100,000.00	100,000.00	CASH & BANK BALANCE		
Prescribed auth. Regulated Area	1,243,581.68	1,243,581.68	Bal. As per Schedule B	143,271,471.64	152,304,280.13
DSMT Grant (Project exp.)	600,000.00	600,000.00	LOAN & ADVANCE		
SUB TOTAL	1,943,581.68	1,943,581.68	As per schedule D	160,505.00	145,605.00
CURRENT LIABILITIES			ADV (SLAO) For land	32,657,700.00	32,657,700.00
TRANSPORT NAGAR RECEIPTS			Stamp duty Receivable	64,243,220.45	90,532,009.45
Registration Money for TP Nagar	134,453,940.79	167,764,903.41	FDR (Schedule C)	349,947,222.00	370,728,107.00
Less: Refund / Transfer	223,388.00	9,217.00	Telephone Security	16,000.00	16,000.00
Total	134,230,552.79	167,755,686.41	TDS Receivable	11,989,951.00	14,809,610.00
Regular Installments	33,534,350.62	39,484,798.58	Appeal MZN (2003-04)	84,540.00	84,540.00
Final Costing Receipts			TP NAGAR LAND COST		
SUB TOTAL	167,764,903.41	207,240,484.99	TP Nagar Land	22,636,727.17	22,632,246.87
Registration money for			Add:- New Land Purchase		
Shakumbhari Avas Yojana	36,000.00	36,000.00	Total	22,636,727.17	
Less: Refund			Less: Sale(2016-17)	4,480.30	
SUB TOTAL	36,000.00	36,000.00	Remaining Value	22,632,246.87	22,632,246.87
Infrastructure Development A/c	325,062,685.29	413,990,303.16	TP NAGAR DEVELOPMENT COST		
Add during the year	124,300,510.03	87,510,458.18	Opeing Balance	18,325,663.80	32,235,614.95
Interest during the Year	24,087,809.00	27,406,355.00	Transport Nagar Exp.	14,592,122.00	43,921,049.00
Total	473,451,004.32	528,907,116.34	Total	32,917,785.80	76,156,663.95
Work done during the year	53,055,600.00	34,346,791.00	Less: Sale	682,170.85	
Income tax paid	6,612,000.00		Remaining Value	32,235,614.95	76,156,663.95
Total	413,783,404.32	494,560,325.34			
Transport Nagar Deficit / Surplus	206,898.84				
SUB TOTAL	413,990,303.16	494,560,325.34			
M. Kashi Ram Sahari Garib Avas Yojna					
Opening Balance	395,544.00	395,544.00			
AMBAY Scheme Reg. Money					
State Govt. Share	105,680.00	105,680.00			
ASHOK VIHAR DEVELOPMENT					
Opening Balance	1,946,437.00	829,167.00			
Less:- Work done during the year	1,117,270.00				
Total	829,167.00	829,167.00			
SELTHER FEES RECEIVED					
Opening Balance	5,568,343.00	5,568,343.00			
Add during the year		1,305,457.00			
Total	5,568,343.00	6,873,800.00			
TOTAL C/F	628,381,994.84	741,773,638.25	TOTAL C/F	671,679,870.36	782,444,472.85



वित्त एवं लेखाधिकार
सहारापुर विकास प्राधिकरण
सहारापुर

सहारापुर विकास प्राधिकरण
सहारापुर

	AMOUNT (2016-17)	AMOUNT (2017-18)	ASSETS	AMOUNT (2016-17)	AMOUNT (2017-18)
	628,381,994.84	741,773,638.25	TOTAL B/F	671,679,870.36	782,444,472.85
in Saram Saman Yojana	1,460,564.55	1,460,564.55			
Payable	107,371.00	131,117.00			
IS Payable	13,257.00	12,857.00			
GPF Payable	450.00	450.00			
LIC of India	16,700.00	13,000.00			
Accounting Charges Payable	120,898.00	127,007.00			
Local Fund Audit Dep.	1,352,400.00	-			
Salary Payable	1,437,519.00	2,046,833.00			
Post Office R.D.	14,423.00	14,423.00			
Earnest money (contractor)	34,280.00	34,280.00			
Professional Charges Payable	17,599.00	18,831.00			
Audit Fee Payable	17,599.00	18,831.00			
Nagar Palika(Ambar Charges)	3,149,673.13	105,154.00			
Security Contractors	3,109,243.84	3,205,143.84			
Advance Received	7,826,058.00	6,840,920.41			
Computer Advance	23,250.00	23,250.00			
Neeraj Tiwari	4,000.00	-			
Land usage Change Fee	141,832.00	141,832.00			
TDS Payable (Salary)	91,000.00	183,600.00			
TDS Payable Contractor & Prof.	23,297.00	16,318.00			
Trade Tax Payable	4,669.00	2,888.00			
Labour Tax for contract 2%	945,460.00	2,816,708.80			
Labour Tax for contract 1%(Contractor)	360,413.00	535,355.00			
Royalty for Contractor	16,926.00	2,324.00			
Payable to Contractor (Se -E)	2,767,986.00	2,551,446.00			
Daily wages payable	153,533.00	153,671.00			
Provision for Expenses Payable	23,120.00	29,311.00			
Security Service	486,925.00	610,435.00			
Stamp duty Deduction	5,298.00	5,298.00			
Avnish Vashishth(Adv. For Trees)	136,985.00	136,985.00			
City Development A/c	14,833,800.00	14,833,800.00			
Nandan Technical	5,730.00	5,730.00			
Reg Fees of EWS Mahipura/ Chilkana	18,868.00	15,270.00			
Land usage Change Fee	4,569,200.00	4,569,200.00			
Self Contribution (FAO)	7,548.00	8,001.00			
TOTAL	671,679,870.36	782,444,472.85	TOTAL	671,679,870.36	782,444,472.85

FOR SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

FAO / SECRETARY
साहारनपुर विकास प्राधिकरण
साहारनपुर

Place: Saharanpur
Date- 17-09-2018

VICE CHAIRMAN

साहारनपुर विकास प्राधिकरण
साहारनपुर



As per our report of even date
For GUNJAN GARG & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(GUNJAN GARG)
FCA

61.

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR
INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED 31.3.2018

EXPENDITURE	AMOUNT (2016-2017)	AMOUNT (2017-2018)	INCOME	AMOUNT (2016-2017)	AMOUNT (2017-2018)
To Advertisement Exp.	560,543.00	61,405.00	By Application & Plan Fee	1,149,188.00	367,652.00
To Bank Charges	12,350.51	18,037.96	By Betterment Fee	888,684.90	558,617.73
To Books		570.00	By Compound Fee	14,116,369.62	11,179,331.40
To Communication	212,295.00	184,799.00	By Development Fee	4,242,693.00	1,714,400.59
To Contri to Awas Bandhu	120,000.00	120,000.00	By Road Surcharge	11,728.00	54,149.00
To Depreciation	1,410,291.00	1,414,216.00	By Stamp Duty	4,595,162.70	4,781,018.20
To Electricity & Generator Exp.	934,727.00	612,450.00	By Impact Fees(Prabhav fees)	609,412.50	749,089.30
To Meeting/ Entertain/ Function	125,195.00	152,811.00	By Land Sub-Division Fee	1,331,391.50	670,888.27
To Medical Exp.	96,796.00	196,965.00	By Park Surcharge	1,679,535.00	453,734.00
To Misc. Exp.	366,520.00	322,627.00	By Supervision Fee	1,257,004.45	984,501.28
To Photostate Expenses	9,090.00	26,554.00	By Sale of Books/Tender form	549,719.00	223,125.00
To Postage Expenses	25,683.00	43,095.00	By Penalty (Contractor)	25,000.00	
To Printing & Stationery	94,628.00	112,347.00	By Misc. Income	47,738.00	556,361.15
To Professional Charges	48,168.00	136,831.00	By Ambar Fees		1,053,297.76
To Audit Fee (Local Audit)	17,599.00	18,831.00	By Prior Period Income		2,779,860.13
To Local Fund Audit Department	626,800.00	-	By Licence Fee /Reg Draftman	522,175.00	718,500.00
To Accounting Charges	87,276.00	93,385.00	By Interest on Flexi 140/PNB	2,548,289.00	2,344,905.00
To Legal Exp.	373,066.00	282,192.00	By Interest (SB & FDR)	2,813,040.46	2,752,845.80
To Repair & Maint(computer)	55,650.00	108,166.00	By Other Interest/ File	3,013,334.00	2,306,377.00
To Repair & Maint(Equip)	38,871.00	6,500.00	By Community Centre	211,400.00	112,900.00
To Repair & Maint(Others)	13,065.00	79,842.00	By Conyance facility	18,000.00	20,000.00
To On Line Map Software /Website	694,317.00	317,350.00	By Subsidy (Gas)	823.55	
To Travelling Exp.	138,332.00	528,090.00	By Audit Recovery	7,038.00	
To Vehicle Running (Fuel & Repair)	1,190,744.00	1,484,974.00	By Transport Nagar		
To Interest paid on TDS / Other	6,300.00	27,520.00	Document charges	500.00	
To Community Centre	365,469.00	269,161.00	Free Hold Charges	107,226.00	
To Bonus	104,804.00	90,988.00	Water Line Charges	1,500.00	
To DA /ADA Allowance	7,392,210.00	1,018,142.00	TPN Tower Rent		105,167.00
To HRA/CA/MA Allowance	970,668.00	1,327,196.00	TPN Surcharges		40,756.00
To Basic Salaries/deput/ Daily	15,898,737.00	30,850,280.00			
To Pensionery & Leave contri.	524,182.00	1,741,170.00			
To CPF Contribution	80,331.00	205,704.00			
To Employee Contribution	74,934.00	92,222.00			
To Discount Allowed (IPN)	44,678.00				
To Service Tax / GST	796,180.00	459,606.00			
To TPN Surcharges	100,000.00				
To Audit Recovery		82,867.00			
To Excess of Income over Exp.	6,136,453.17	(7,959,417.35)			
Total	39,746,952.68	34,527,476.61	Total	39,746,952.68	34,527,476.61

FOR SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

AO / SECRETARY
साहारनपुर विकास प्राधिकरण
साहारनपुर

VICE CHAIRMAN
साहारनपुर विकास प्राधिकरण
साहारनपुर



As per our report of even date
For GUNJAN GARG & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(GUNJAN GARG)
F.C.A.

Place: Saharanpur
Date- 17-09-2018

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR
STATEMENT OF FIXED ASSETS AS ON 31.3.2018

Particulars	Opening Balance as on 1.4.2017	Addition After 30-9-17	Addition before 30-9-17	Dedition	Total	Rate	Depreciation	Closing Balance as on 31.3.2018
Building	5,129,950.83				5,129,950.83	10%	512,995.00	4,616,955.83
Computer Room	3,175.70				3,175.70	10%	318.00	2,857.70
Tools	19.88				19.88	10%	2.00	17.88
Furniture	871,161.82	69,120.00	135,490.00		1,075,771.82	10%	100,803.00	974,968.82
TOTAL	874,357.40	69,120.00	135,490.00	-	1,078,967.40		101,123.00	977,844.40
Fax Machine	7,262.22				7,262.22	15%	1,089.00	6,173.22
Generator	91,488.95				91,488.95	15%	13,723.00	77,765.95
Inventor	84,231.90				84,231.90	15%	12,635.00	71,596.90
Insturments	39,247.32				39,247.32	15%	5,887.00	33,360.32
JCB Machine	342,075.56				342,075.56	15%	51,311.00	290,764.56
Office Equip.& Electric	1,469,754.21	145,573.00	5,200.00		1,620,527.21	15%	242,689.00	1,377,838.21
Photostate Machine	243,417.70				243,417.70	15%	36,513.00	206,904.70
Vehicle	1,158,875.54				1,158,875.54	15%	173,831.00	985,044.54
Web Site	437,449.00	131,300.00	217,690.00		786,439.00	15%	101,639.00	684,800.00
Sooler System	610,500.00				610,500.00	15%	91,575.00	518,925.00
TOTAL	4,484,302.40	276,873.00	222,890.00	-	4,984,065.40		730,892.00	4,253,173.40
Computer	88,914.82	84,100.00			173,014.82	40%	69,206.00	103,808.82
Land	958,529.00				958,529.00			958,529.00
Total	11,536,054.45	430,093.00	358,380.00	-	12,324,527.45		1,414,216.00	10,910,311.45
2016-2017	10,035,437.46	422,758.00	2,488,150.00	-	12,946,345.46	-	1,410,291.00	11,536,054.46

FOR SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

FAO / SECRETARY
 साहयणु डवकड डररररररर
 साहयणु डवकड डररररररर
 गहरररर

CHAIRMAN
 साहयणु डवकड डररररररर
 साहयणु डवकड डररररररर
 गहरररर



60

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR

B

BANK ACCOUNT AS ON 31.3.2018

Sr.	PARTICULARS	2016-2017	2017-2018
<u>PUNJAB NATIONAL BANK S/B A/c</u>			
1	PNB 108007638	4,258,500.32	4,495,664.97
<u>UNION BANK OF INDIA</u>			
2	UBI NO. 499102010037023	5,628,050.25	10,605,544.21
3	UBI NO. 499102010037048	67,128.48	73,977.48
4	UBI Flexi Account 49910205000101	19,010,000.00	19,500,000.00
5	UBI A/c 49910205000101	13,630,956.39	1,311,206.09
6	UBI Flexi Account 499102050000140	35,105,000.00	29,000,000.00
7	UBI A/C 499102050000140	6,440,330.91	1,408,330.18
8	UBI A/c no.499102010081268	1,044,181.14	945,485.30
9	UBI A/c No. 499102010080435	85,406.00	88,845.00
<u>INDIAN OVERSEAS BANK</u>			
10	Indian Overseas Bank a/c no. 23230	3,387.00	3,387.00
11	Indian Overseas Bank a/c no. 298101000001476	4,874,716.00	5,073,643.00
<u>STATE BANK OF PATIALA</u>			
12	SBI A/c 01100012490/55054618108	35,998.41	37,338.41
<u>ALLAHABAD BANK</u>			
13	Allahabad Bank No -50007662397	62,307.00	62,307.00
14	Allahabad Bank No.-50194539082	183,499.28	7,380,050.28
15	AXIS BANK A/c 420010100025160	14,031,593.79	18,758,807.29
16	PLA Account No. 8443068	4,082.00	4,082.00
17	PNB -3982000100562071	457,569.24	108,323.89
18	PNB -3982004400070805		690,492.30
19	Allahabad Bank - 50113977736	5,212,970.00	218,694.00
20	Allahabad Bank - 50334795392	6,224,511.00	7,890,051.00
21	Andhra Bank A/c no. 169710100025042	28,436.00	28,782.50
22	Andhra Bank A/c no. 169710100015902	7,909,324.00	3,634,324.00
23	HDFC Bank A/c no. 0326145000114	7,300,792.43	6,800,650.50
24	ICICI BANK-019101003530	542,361.00	765,503.00
25	SBI -32208941093	781,051.00	923,933.00
26	SBI -37518847821		1,137,196.00
27	United Bank of India-0958010130226	(1,204,527.00)	19,151.75
28	United Bank of India-0958010130226(Flexi)	5,195,000.00	1,720,000.00
29	IDBI A/C -023610400012359	3,000,000.00	8,827,451.00
30	UBI A/c No. 306502010091598	3,357,197.00	
31	HDFC Bank A/c no. 5010021141154		20,790,851.98
	Cash In Hand	1,650.00	207.00
	TOTAL	143,271,471.64	152,304,280.13



वित्त एवं प्रशासक
सहारापुर विकास प्राधिकरण
सहारापुर


उपाध्यक्ष
सहारापुर विकास प्राधिकरण
सहारापुर


64
SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR

STATEMENT OF INVESTMENT WITH BANK AS ON 31.3.2018 AS PER SCHEDULE C

PARTICULARS	AMOUNT	
	2016-2017	2017-2018
FDR ACCOUNTS		
STATE BANK OF PATIALA		
SBOP NO. 65209453666	10,871,763.00	11,485,506.00
SBOP NO. 65209453724	10,871,763.00	11,485,506.00
SBOP NO. 65209454660	10,871,763.00	11,485,506.00
SBOP NO. 65209454682	4,928,581.00	5,251,565.00
SBOP NO. 65210283565	8,131,397.00	8,708,854.00
SBOP NO. 65210283611	8,176,280.00	8,663,971.00
SBOP NO. 65236478317	7,134,229.00	-
UNION BANK OF INDIA		
UBI A/C NO. 303-115719	3,206,736.00	3,297,411.00
UBI A/C NO.	3,206,736.00	3,297,411.00
ALLAHABAD BANK		
ALLAHABAD BANK NO. 50194767519	14,164,745.00	15,043,428.00
ALLAHABAD BANK NO. 50296596238	8,699,004.00	-
ALLAHABAD BANK NO. 50302075835	9,289,642.00	10,172,970.00
ALLAHABAD BANK NO. 50302150837	9,287,982.00	10,170,707.00
ALLAHABAD BANK NO. 50325024409	1,179,877.00	1,254,741.00
ALLAHABAD BANK NO. 50329078756	5,338,298.00	5,652,346.00
ALLAHABAD BANK NO. 81528003816	13,752,252.00	13,898,832.00
ALLAHABAD BANK NO. 50274694221	7,882.00	23,092.00
ALLAHABAD BANK NO. 20581699424	204,041.00	216,426.00
ALLAHABAD BANK NO. 50378154142	9,046,223.00	9,632,009.00
ALLAHABAD BANK NO. 50378187838	9,044,682.00	9,630,344.00
ALLAHABAD BANK NO. 50378395825	2,009,586.00	2,139,705.00
ALLAHABAD BANK NO. 50382742296	9,003,081.00	9,585,387.00
ALLAHABAD BANK NO. 50382793579	9,006,717.00	9,589,023.00
ALLAHABAD BANK NO. 50382861337	9,001,557.00	9,583,722.00
ALLAHABAD BANK NO. 50382968188	5,187,117.00	5,522,587.00
ALLAHABAD BANK NO.	1,355,544.00	-
ALLAHABAD BANK NO. 50344444885	522,703.00	577,002.00
ALLAHABAD BANK NO. 50357241563	825,742.00	902,515.00
ALLAHABAD BANK NO. 50358047348	8,970,782.00	9,820,998.00
ALLAHABAD BANK NO. 50375495914	9,074,856.00	9,730,470.00
ALLAHABAD BANK NO. 50375552180	6,710,522.00	7,194,252.00
ALLAHABAD BANK NO. 50377558475	9,052,559.00	9,628,832.00
ALLAHABAD BANK NO. 50377773015	9,047,763.00	9,587,640.00
ALLAHABAD BANK NO. 50378042030	8,359,996.00	8,851,117.00
ALLAHABAD BANK NO. 50380273663	9,024,651.00	9,608,697.00




 निता एव निवाहिकाटि
 सहायनगर विकास प्राधिकरण
 साहयनगर


 सहायनगर विकास प्राधिकरण
 साहयनगर

ALLAHABAD BANK NO. 50380436165	9,023,111.00	9,607,033.00
ALLAHABAD BANK NO. 50380569707	9,021,570.00	9,605,368.00
ALLAHABAD BANK NO. 50380858520	7,903,255.00	8,414,642.00
ALLAHABAD BANK NO. 50436151373		9,922,181.00
ALLAHABAD BANK NO. 56000873355		84,051.00
ALLAHABAD BANK NO. 56004803872		203,879.00
ALLAHABAD BANK NO. 50383012869		5,334,464.00
ALLAHABAD BANK NO. 50389161995		9,492,551.00
ALLAHABAD BANK NO. 50389180511		4,877,161.00
ALLAHABAD BANK NO. 50436123050		1,494,572.00
UCO BANK NO. 25010310005361	1,353,964.00	-
UCO BANK NO. 25010310005378	1,225,759.00	-
UCO BANK NO. 25010310005385	11,571,523.00	-
UCO BANK NO. 25010310006764	3,676,824.00	3,906,838.00
UCO BANK NO. 25010310006788	5,324,460.00	5,659,008.00
UCO BANK NO. 25010310006801	545,237.00	579,475.00
UCO BANK NO. 25010310006818	6,354,076.00	6,753,129.00
UCO BANK NO. 25010310006825	6,401,097.00	6,766,853.00
UCO BANK NO. 25010310006931	6,333,753.00	-
UCO BANK NO. 25010310006948	7,178,476.00	-
UCO BANK NO. 25010310008355		9,307,138.00
UCO BANK NO. 25010310008362		2,964,115.00
UCO BANK NO. 25010310008416		1,438,909.00
UCO BANK NO. 25010310008426		1,301,809.00
ANDRHA BANK		
ANDRHA BANK 16972010017715	6,334,006.00	6,726,923.00
ANDRHA BANK 16972010037068/38698		
ANDRHA BANK 169720100054691	23,133,059.00	24,595,436.00
TOTAL	349,947,222.00	370,728,107.00




वित्त एवं लेखाधिकार
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर


उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR
STATEMENT OF LOAN & ADVANCE AS ON 31.3.2018 AS PER SCHEDULE D

PARTICULARS	AMOUNT	
	2016-2017	2017-2018
Advance to IIT Roorkee	18,756.00	18,756.00
Central Inst. Of Plastic Engg.	6,372.00	6,372.00
Competant Authority Urban Cell	10,000.00	10,000.00
Briham Pal Driver	6,008.00	6,008.00
Sh. J.K. Bhatia Advocate (ADV)	17,000.00	17,000.00
Smt Geeta Chatterji Advocate(Adv)	2,000.00	2,000.00
Advance to Tanishk Lights	23,276.00	23,276.00
P.K. Singh Advocate	35,000.00	35,000.00
Dharmandra kumar Sharma (PI)	15,000.00	15,000.00
Pradeep Sharma Advocate Advance	1,000.00	1,000.00
M/s Sarvan Kumar Cont.	2,755.00	2,755.00
Sanjay Kumar Sharma Payable	3,938.00	3,938.00
Lal Bahadur Mate (HBA)	8,400.00	(1,500.00)
Vinod Sharma PI	5,000.00	-
Exen Yantrik Shabha Jal Nigam	6,000.00	6,000.00
Total	160,505.00	145,605.00





 वित्त एवं वित्ताधिकारी
 सहरानपुर विकास प्राधिकरण
 सहरानपुर



 उपाध्यक्ष
 सहरानपुर विकास प्राधिकरण
 सहरानपुर

67.

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR
STATEMENT OF CURRENT LIABILITIES AS ON 31.3.2018

CURRENT LIABILITIES PARTICULARS	SCHEDULE E	
	AMOUNT 2016-2017	AMOUNT 2017-2018
CONTRACTOR		
M/s Anil Choudhary	16,900.00	16,900.00
M/s Antriksh Kumar	5,000.00	5,000.00
M/s Ashok Electrical	14,008.00	14,008.00
M/s Capital Elec.	190,133.00	190,133.00
M/s Cyclone const.	10,000.00	10,000.00
M/s Diomand Enterprises	6,372.00	6,372.00
M/s Dharamveer Singh	17,534.00	17,534.00
M/s Faquira Const.	1,050.00	1,050.00
M/s Gayatri Const.	10,500.00	10,500.00
M/s Gayatri Const.	2,456.00	2,456.00
M/s Jasveer Singh Cont.	2,756.00	2,756.00
M/s Jitendra Rana	3,000.00	3,000.00
M/s Kulveer singh	3,000.00	3,000.00
M/s Kamal Garg	5,000.00	5,000.00
M/s Mahaluxmi Nursery	3,000.00	3,000.00
M/s N.K. Cont.	29,494.00	29,494.00
M/s Ravindra Sharma	6,085.00	6,085.00
M/s R.C.C. Developer (P) Ltd	481,668.00	481,668.00
M/s R.R. Civil Const.	427.00	427.00
M/s Sangam Traders	500,000.00	444,882.00
M/s NCR Builder Pvt Ltd	100.00	100.00
M/s Neeraj Gupta	16,298.00	16,298.00
M/s Pragya Enterprises	4,982.00	4,982.00
M/s Rajeev Kumar	52,764.00	52,764.00
M/s Sehdev Singh	39,243.00	39,243.00
M/s Siddhartha Goyal	7,420.00	7,420.00
M/s Yashika enterprises	(682.00)	(682.00)
M/s Shree Cont	10,842.00	10,842.00
M/s Sandeep Kumar	35,793.00	35,793.00
M/s Phool Singh	32,360.00	32,360.00
M/s V.K. Const.	14,841.00	14,841.00
Adv to UPRNN Meerut	(60,821.00)	(60,821.00)
M/s Shivalik Infra	600,000.00	600,000.00
M/s Inshad Ahmad	5,000.00	5,000.00
M/s Land Mark Engg. & Builders	52,619.00	52,619.00
M/s Shiv Assocaties	455,022.00	457,022.00
M/s Ravindra Kumar	10,000.00	10,000.00
M/s Mahesh App	92,928.00	-
M/s Voltish Website	90,894.00	-
M/s Kapil Conturction		20,000.00
M/s Modern Reflective India		400.00
Total	2,767,986.00	2,551,446.00


 वित्त एवं प्रशासिकारी
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहायक निदेशक


 सहारनपुर विकास प्राधिकरण




SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN, HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR
STATEMENT OF CURRENT LIABILITIES AS ON 31.3.2018

SCHEDULE E

CURRENT LIABILITIES

PARTICULARS	AMOUNT	
	2016-2017	2017-2018
SECURITY CONTRACTOR		
Alok Sharma Security (Others)	6,443.00	6,443.00
Arun Kumar Security (Infra & TPN)	1,385.00	1,385.00
Ashok Electricals (Infra & TPN)	1,946.00	1,946.00
Antrkish kumar sec (Infra & TPN)	28,538.00	28,538.00
Capital Security (Others & TPN)	9,867.00	9,867.00
Diamond Enter. Sec (Infra & TPN)	45,170.00	45,170.00
Ekta Enterprises	66,736.00	66,736.00
Kamal Garg	3,660.00	3,660.00
Laksha Enterprises (Infra & TPN)	500.00	500.00
Luxmi Traders	1,675.00	1,675.00
Manoj Kumar	1,065.00	1,065.00
Mittal Machinery Security	10,000.00	10,000.00
NCR BUILDERS SECURITY (KRY)	39,827.00	39,827.00
Neeraj Gupta Sec (Infra & TPN)	14,323.00	14,323.00
N K Contract	24,221.00	24,221.00
Pankaj Gupta Sec (TPN)	3,000.00	3,000.00
P.K. Traders Sec (Infra & TPN)	20,781.00	20,781.00
Priti Engg. Sec (Infra & TPN)	146,279.00	146,279.00
Rajeev Kumar	1,445.00	1,445.00
Raj Shyam Const. Sec Infra & TPN	82,867.00	82,867.00
Rakesh Rana Sec (Other & TPN)	30,393.00	30,393.00
R.C.C. Developer	304,014.00	304,014.00
R.R. Civil Sec. (Infra & TPN)	2,500.00	2,500.00
Ravindra Kumar	14,923.00	14,923.00
Sarvan Kumar Sec. (TPN)	1,154.00	1,154.00
SC Builders	1,119.00	1,119.00
Security Contractor (Infra)	127,150.84	127,150.84
Security Contractor (TPN)	19,840.00	19,840.00
Shree Contruction	10,741.00	10,741.00
Siddhartha Goel Security (Infra & TPN)	5,729.00	5,729.00
S.S. Infotech Ltd	1,159,703.00	1,159,703.00
Sangam Traders	9,056.00	9,056.00
Transton	285,250.00	285,250.00
Vidhyut Ku. Jain Sec (Infra & TPN)	31,361.00	31,361.00
Vijay Kumar Security (Infra & TPN)	6,077.00	6,077.00
Yashika Enter. Sec Infra & TPN	122,983.00	122,983.00
Vidhyut Ku. Jain Sec (Infra & TPN)	39,771.00	39,771.00





 निता एवं सहायिका
 साहयनपुर विकास प्राधिकरण
 साहयनपुर



 सहायनपुर विकास प्राधिकरण
 साहयनपुर

W Singh	7,820.00	7,820.00
Ukhan Kumar	13,300.00	13,300.00
Land Mark Security	67,014.00	67,014.00
Janwani Infra	247,821.00	247,821.00
Beer Pal	931.00	931.00
Commodity Security (KRCC)	54,700.00	25,000.00
Mahi Construction	8,641.00	8,641.00
Nitin Mittal	5,302.00	5,302.00
Rathi Security	3,814.00	3,814.00
Shiv Associates	7,500.00	7,500.00
M K Traders	7,208.00	7,208.00
Rajni Builders Security	3,700.00	3,700.00
All My TE Infra Security		120,650.00
Modern Security		4,950.00
TOTAL	3,109,243.84	3,205,143.84

FOR SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY




 वित्त एवं प्रशासिका
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर


 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
HAKIKAT NAGAR, SAHARANPUR-24001

01- UNION BANK OF INDIA A/C NO. 499102010081268

PARTICULARS		AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018		945,485.30
Add:- Cheque Issued but not present to the bank		
DATE	CHEQUE NO.	AMOUNT(RS)
2017-2018		500.00
12.07.2017	Ch no.4920	242.00
28.03.2018	Ch no.107373	6,700.00
28.03.2018	Ch no.107374	13,300.00
28.03.2018	Ch no.107375	12,100.00
28.03.2018	Ch no.107376	13,300.00
28.03.2018	Ch no.107377	13,300.00
		59,442.00
total		1,004,927.30
Less :- Cheque Received but not present to the bank		
Balance as per Bank book as on 31.03.2018		1,004,927.30

02- UNION BANK OF INDIA A/C NO. 499102010080435

PARTICULARS		AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018		88,845.00
Add:- Cheque issued but not present to the bank		
DATE	CHEQUE NO.	AMOUNT(RS)
19.09.2000	Ch no. 133015	1,540.00
20.09.2008	Ch no. 133016	3,040.00
25.03.2017	Ch no. 158704	91,789.00
total		185,214.00
Less :- Cheque Received but not present to the bank		
Balance as per Bank book as on 31.03.2018		185,214.00

03- ICICI -019101003530

PARTICULARS		AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018		765,503.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018		765,503.00



Handwritten signature and official stamp of the Saharanpur Development Authority, Chakrata Road, Saharanpur.

Handwritten signature and official stamp of the Saharanpur Development Authority, Chakrata Road, Saharanpur.

PARTICULARS			AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018			18,758,807.29
Add:- Cheque issued but not present to the bank			
DATE	CHEQUE NO.	AMOUNT(RS)	
Bank Deposit dt -05.04.2017	MICRO OUT SET	408,000.00	
total			408,000.00
Less :- Cheque Received but not present to the bank			19,166,807.29
Balance as per Bank book as on 31.03.2018			19,166,807.29

05- UBI -4991020500000101

PARTICULARS			AMOUNT(Rs.)	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018				1,311,206.09
Add:- Cheque issued but not present to the bank				
DATE	CHEQUE NO.	AMOUNT(RS)		
2015-2016		55,118.00		
BANK DT 01.12.12	Ch No. 208164	121,850.00		
total			176,968.00	
Less :- Cheque Received but not present to the bank				1,488,174.09
Balance as per Bank book as on 31.03.2018				1,488,174.09

06- UNION BANK OF INDIA A/C NO. 499102050000140

PARTICULARS			AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018			1,408,330.18
Add:- Cheque issued but not present to the bank			
DATE	CHEQUE NO.	AMOUNT(RS)	
31.03.2009	Ch no. 133335	14,993.00	
31.03.2009	Ch no. 133203	16,473.00	
30.04.2009	Ch no. 841532	15,114.00	
30.04.2009	Ch no. 841600	16,701.00	
30.06.2009	Ch no. 001411	16,710.00	
30.06.2009	Ch no. 972510	16,726.00	
30.06.2009	Ch no. 972535	16,726.00	
30.08.2010	Ch no. 002090	11,480.00	
30.08.2010	Ch no. 002092	71,641.00	
30.08.2010	Ch no. 002093	185,316.00	
30.08.2010	Ch no. 002094	86,505.00	
23.01.2012	Ch no. 269044	15,073.00	
12.10.2012 Bank	Ch no. 531834	251,522.00	
26.08.2013	Ch no. 052104	7,933.00	
30.09.2013	Ch no.	13,047.00	
total			755,960.00
Less :- Cheque Received but not present to the bank			2,164,290.18

DATE	CHEQUE NO.	AMOUNT(RS)	
26.03.2018	Ch no. 19034	12,100.00	03.04.2018
03.2018	Ch no. 182919 & 40193	235,000.00	04.04.2018
03.2018	ch no. 211583	15,580.00	04.04.2018
total			262,680.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018			1,901,610.18



[Signature]
 उपाध्यक्ष
 सहारनपुर नैतिक म प्राधिका
 सहारनपुर

AI-0236104000142359

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	6,827,451.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	6,827,451.00

08- UNION BANK OF INDIA-0958010130226

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	19,151.75
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	19,151.75

09- STATE BANK OF INDIA -37510047021

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	1,137,196.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	1,137,196.00

10- STATE BANK OF INDIA -55054618108

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	37,338.41
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	37,338.41

11- STATE BANK OF INDIA -32208941093

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)		
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	923,933.00		
Amount Wrongly Credit by bank			
DATE	CHEQUE NO.	AMOUNT(RS)	
Bank Depoist 10.01.18	Ch no.998120	50,593.00	50,593.00

Balance as per Bank book as on 31.03.2018 974,526.00

12- ANDHRA BANK-169710100025042

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	28,782.50
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	28,782.50

13- ALLAHABAD BANK-50334795392

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	7,890,051.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	7,890,051.00

14- ALLAHABAD BANK-50194539082

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	7,380,050.28
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	7,380,050.28



पिता एवं निवासिका
बहादुरपुर विकास प्राधिकरण
बहादुरपुर

सहायनपुर विकास प्राधिकरण
बहादुरपुर

RAHAD BANK-50113977736

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	218,694.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	218,694.00

16- PUNJAB NATIONAL BANK -3982000100562071

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	108,323.89
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	108,323.89

17- PLA

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	4,082.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	4,082.00

18- INDIAN OVERSEAS BANK-298101000001476


PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	5,073,643.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	5,073,643.00

19- UNION BANK OF INDIA-499102010037048

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	73,977.48
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	73,977.48

20- PUNJAB NATIONAL BANK -108007638

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018	4,495,664.97
Balance as per Bank book as on 31.03.2018	4,495,664.97



वित्त एवं निर्यातिकां
सहायनपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपाध्यक्ष
सहायनपुर विक.स. प्राधिकरण
सहायनपुर

PARTICULARS	AMOUNT(Rs.)	AMOUNT(Rs.)
Balance as per Ledger as on 31.03.2018		10,605,544.21


Add:- Cheque Issued but not present to the bank

DATE	CHEQUE NO.	AMOUNT(RS)	
31.03.2010	Ch no. 171810	37,683.00	
15.03.2013	Ch no. 124136	10,531.00	
15.05.2013	Ch no. 067295	10,000.00	
15.08.2013	Ch no. 067295	2,000.00	
07.09.2015	Ch no. 089547	2,146.00	
26.10.2016	Ch no. 107276	2,000.00	
20.11.2017	BANK	9,000.00	Wrongly Credit by bank
02.02.2018	SALARY DIFF	596.00	Extra Debit by bank
09.03.2018	Ch no. 012659	900.00	LIC LKO
21.03.2018	Ch no. 018312	700.00	LIC LKO
28.03.2018	Ch no. 018321	3,500.00	05.04.2018
28.03.2018	Ch no. 18322	42,480.00	04.04.2018
28.03.2018	Ch no. 18323	130,067.00	04.04.2018
28.03.2018	Ch no. 18324	14,452.00	13.04.2018
28.03.2018	Ch no. 18325	329,700.00	03.04.2018
28.03.2018	Ch no. 18325	20,434.00	03.04.2018
			616,189.00
Total			11,221,733.21

Less :- Cheque Received but not present to the bank

31.03.2017	Ch no.,	7,541.00	
28.03.2018	Ch no. 411098 & 95	300,000.00	04.04.2018
28.03.2018	Ch no. 374910	193,191.00	04.04.2018
28.03.2018	Ch no. 590431	20,000.00	04.04.2018
			520,732.00
Balance as per Bank book as on 31.03.2018			10,701,001.21




 ब्रिज लाल वैद्यार्थी
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर


 ब्रिज लाल वैद्यार्थी
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण
 सहारनपुर

**SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
NEAR GANNA BHAWAN HAQIQAT NAGAR
SAHARANPUR**

FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-2018

DEVELOPMENT CHARGES

Month	Amount Received	Amount Return	Total	Trf %	TRf to Infra	Total
Apr-17	763,478.00	29,278.00	734,200.00	90%	660,780.00	73,420.00
May-17	968,013.00		968,013.00	90%	871,211.70	96,801.30
Jun-17	2,058,515.00	184,260.00	1,874,255.00	90%	1,686,829.50	187,425.50
Jul-17	2,189,176.00	7,966.00	2,181,210.00	90%	1,963,089.00	218,121.00
Aug-17	237,548.00	5,687.00	231,861.00	90%	208,674.90	23,186.10
Sep-17	743,219.00		743,219.00	90%	668,897.10	74,321.90
Oct-17	1,132,041.00		1,132,041.00	90%	1,018,836.90	113,204.10
Nov-17	2,367,514.00		2,367,514.00	90%	2,130,762.60	236,751.40
Dec-17	601,851.00		601,851.00	90%	541,665.90	60,185.10
Jan-18	1,572,321.00		1,572,321.00	90%	1,415,088.90	157,232.10
Feb-18	2,947,902.00	112,196.00	2,835,706.00	90%	2,552,135.40	283,570.60
Mar-18	1,907,894.90	6,080.00	1,901,814.90	90%	1,711,633.41	190,181.49
Total	17,489,472.90	345,467.00	17,144,005.90		15,429,605.31	1,714,400.59

COMPOUNDING FEES

Month	Amount Received	Amount Return	Total	Trf %	TRf to Infra	Total
Apr-17	402,671.00	155,546.00	247,125.00	50%	123,562.50	123,562.50
May-17	1,158,477.00	280,000.00	878,477.00	50%	439,238.50	439,238.50
Jun-17	993,205.00	176,610.00	816,595.00	50%	408,297.50	408,297.50
Jul-17	2,140,670.00	845,000.00	1,295,670.00	50%	647,835.00	647,835.00
Aug-17	783,321.00	322,518.00	460,803.00	50%	230,401.50	230,401.50
Sep-17	243,577.00		243,577.00	50%	121,788.50	121,788.50
Oct-17	2,113,942.00	28,000.00	2,085,942.00	50%	1,042,971.00	1,042,971.00
Nov-17	425,000.00	32,000.00	393,000.00	50%	196,500.00	196,500.00
Dec-17	9,722,118.00	181,090.00	9,541,028.00	50%	4,770,514.00	4,770,514.00
Jan-18	2,825,000.00	500,000.00	2,325,000.00	50%	1,162,500.00	1,162,500.00
Feb-18	2,355,111.00	1,010,000.00	1,345,111.00	50%	672,555.50	672,555.50
Mar-18	3,115,201.80	308,867.00	2,806,334.80	50%	1,403,167.40	1,403,167.40
Total	26,278,293.80	3,839,631.00	22,438,662.80		11,219,331.40	11,219,331.40

BETTERMENT FEES

Month	Amount Received	Amount Return	Total	Trf %	TRf to Infra	Total
Apr-17	613,396.00	60,249.00	553,147.00	90%	497,832.30	55,314.70
May-17	41,162.00		41,162.00	90%	37,045.80	4,116.20
Jun-17	607,895.00	135,143.00	472,752.00	90%	425,476.80	47,275.20
Jul-17	656,053.00	15,151.00	640,902.00	90%	576,811.80	64,090.20
Aug-17	376,930.00	23,283.00	353,647.00	90%	318,282.30	35,364.70
Sep-17	311,561.00		311,561.00	90%	280,404.90	31,156.10
Oct-17	184,234.00		184,234.00	90%	165,810.60	18,423.40
Nov-17	110,434.00		110,434.00	90%	99,390.60	11,043.40
Dec-17	456,005.00		456,005.00	90%	410,404.50	45,600.50
Jan-18	1,010,643.00	66,596.00	944,047.00	90%	849,642.30	94,404.70
Feb-18	884,596.00	14,458.00	870,138.00	90%	783,124.20	87,013.80
Mar-18	660,919.27	12,771.00	648,148.27	90%	583,333.44	64,814.83
Total	5,913,828.27	327,631.00	5,586,177.27		5,027,559.54	558,617.73

STAMP DUTY

Month	Amount Received	Amount Return	Total	Trf %	TRf to Infra	Total
Apr-17						
May-17			-	90%	-	-
Jun-17	11,012,762.00			90%		
Jul-17			11,012,762.00	90%	9,911,485.80	1,101,276.20
Aug-17			-	90%	-	-
Sep-17	10,403,801.00			90%		
Oct-17			10,403,801.00	90%	9,363,420.90	1,040,380.10
Nov-17			-	90%	-	-
Dec-17	12,197,154.00			90%		
Jan-18			12,197,154.00	90%	10,977,438.60	1,219,715.40
Feb-18			-	90%	-	-
Mar-18	14,196,465.00			90%		
Mar-18			14,196,465.00	90%	12,776,818.50	1,419,646.50
Total	47,810,182.00	-	47,810,182.00		43,029,163.80	4,781,018.20

IMPACT CHARGES

Month	Amount Received	Amount Return	Total	Trf %	TRf to Infra	Total
Apr-17			-	90%	-	-
May-17			-	90%	-	-
Jun-17	3,134,250.00			90%		
Jun-17			3,134,250.00	90%	2,820,825.00	313,425.00
Jul-17			-	90%	-	-
Aug-17	1,009,887.00			90%		
Aug-17			1,009,887.00	90%	908,898.30	100,988.70
Sep-17			-	90%	-	-
Oct-17			-	90%	-	-
Nov-17			-	90%	-	-
Dec-17	100,000.00			90%		
Dec-17			100,000.00	90%	90,000.00	10,000.00
Jan-18	800,000.00	-		90%		
Jan-18			800,000.00	90%	720,000.00	80,000.00
Feb-18	1633651	-		90%		
Feb-18			1,633,651.00	90%	1,470,285.90	163,365.10
Mar-18	938,105.00	125,000.00		90%		
Mar-18			813,105.00	90%	731,794.50	81,310.50
Total	7,615,893.00	125,000.00	7,490,893.00		6,741,803.70	749,089.30

LAND SUBDIVISION FEES

Month	Amount Received	Amount Return	Total	Trf %	TRf to Infra	Total
Apr-17	1,177,218.00	60,090.00		90%		
Apr-17			1,117,128.00	90%	1,005,415.20	111,712.80
May-17	59,032.00			90%		
May-17			59,032.00	90%	53,128.80	5,903.20
Jun-17	1,236,383.00	317,316.00		90%		
Jun-17			919,067.00	90%	827,160.30	91,906.70
Jul-17	480,556.00	21,622.00		90%		
Jul-17			458,934.00	90%	413,040.60	45,893.40
Aug-17	277,931.00	25,590.00		90%		
Aug-17			252,341.00	90%	227,106.90	25,234.10
Sep-17	322,030.00			90%		
Sep-17			322,030.00	90%	289,827.00	32,203.00
Oct-17	215,493.00			90%		
Oct-17			215,493.00	90%	193,943.70	21,549.30
Nov-17	109,311.00			90%		
Nov-17			109,311.00	90%	98,379.90	10,931.10
Dec-17	387,736.00			90%		
Dec-17			387,736.00	90%	348,962.40	38,773.60
Jan-18	483,009.00			90%		
Jan-18			483,009.00	90%	434,708.10	48,300.90
Feb-18	898,281.00	62,509.00		90%		
Feb-18			835,772.00	90%	752,194.80	83,577.20
Mar-18	1,556,412.70	7,383.00		90%		
Mar-18			1,549,029.70	90%	1,394,126.73	154,902.97
Total	7,203,392.70	494,510.00	6,708,882.70		6,037,994.43	670,888.27



वित्त एवं विभाजिकारी
 न्यायव्युत्पन्न विकास प्राधिकरण
 बंगलूरु

सुहासिनपुर विक्रम प्राधिकरण
 सुहासिनपुर

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 56/09

विषय:- सामुदायिक केन्द्र हकीकतनगर में रस्म पगड़ी में शुल्क कम करने विषयक।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में सामुदायिक केन्द्र के कार्यक्रम हेतु निम्न शुल्क लिये जा रहे हैं :-

कार्यक्रम	स्वीकृत दरें		01 अप्रैल 2018 से लागू बढ़ोत्तरी दरें	
	सामान्य (प्रतिदिन)	बी0पी0एल0 (प्रतिदिन)	सामान्य (प्रतिदिन)	बी0पी0एल0 (प्रतिदिन)
विवाह	26600.00	8700.00	29300.00	9600.00
सांस्कृतिक	13300.00	4700.00	14700.00	5200.00
अन्य कार्यक्रम	13300.00	4700.00	14700.00	5200.00
सगाई/जन्मदिन पर्व	13300.00	4700.00	14700.00	5200.00
रस्म पगड़ी	2600.00	2600.00	2900.00	2900.00
जमानत	13300.00	6700.00	14700.00	7400.00
सफाई	800.00	800.00	900.00	900.00

जमानत धनराशि का भुगतान कार्यक्रम पूर्ण होने पर किया जाता है।

उपरोक्त शुल्क जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 20.11.14 के क्रम में लिया जा रहा है, जिसमें 01 अप्रैल से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत, प्रतिवर्ष की बढ़ोत्तरी (100 पूर्णांक) में लिया जा रहा है।

श्री अमित त्यागी के प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2018 के क्रम में रस्म पगड़ी हेतु जनहित में निम्न शुल्क लिये जाने हेतु प्रस्तावित है।

रस्म पगड़ी	सामान्य	बी0पी0एल0
बुकिंग राशि	1100.00	1100.00
जीएसटी 18 प्रतिशत	प्रचलित दरों पर	प्रचलित दरों पर
जमानत राशि	1100.00	1100.00
सफाई हेतु	900.00	900.00

उक्त दर वर्ष 2019-2020 तक मान्य होगी, इसके पश्चात अप्रैल-2020 से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

अमित त्यागी

पार्सद, वार्ड-50
हकीकत नगर, सहारनपुर



78

आवास : 3, साकेत कॉलोनी, सहारनपुर
दूरभाष : 9897123233

62

पत्रांक:- 188/2018

मण्डलायुक्त महोदय
मण्डल सहारनपुर ।

967/1474
11/11/19

VC
SDA
CS

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर
11/11/19

2114
14.1.19
(11/11/19)

मेरे वार्ड हकीकत नगर स्थित मान्यवर काशीराम सामुदायिक केन्द्र में मृत्युपरान्त किये जाने वाले संस्कार रस्म पगड़ी हेतु बुकिंग कराने का शुल्क रुपये 2,900 + 400 + 18% जी० एस० टी० विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है, जबकि उक्त संस्कार केवल एक घण्टे का होता है, जिसके लिये इतना शुल्क लिया जाना यथोचित नहीं है । यदि यह शुल्क घटा दिया जाता है तो उक्त स्थल को ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग में लायेंगे । अतः रस्म पगड़ी क्रियाक्रम को कराने हेतु शुल्क घटाने का कष्ट करें ।

दिनांक:- 17-11-2018

भवदीय

अमित त्यागी

रसमिद

16.1.2019

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

79.

अमित त्यागी

पार्षद, वार्ड-20
हकीकत नगर, सहारनपुर



(66)

आवास : 3, साकेत कालोनी, सहारनपुर
दूरभाष : 9897123233

पत्रांक:- 181/2018

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर ।

~~सचिव~~
~~कृ. वार्ड~~
~~13/11/2018~~

(42)

मेरे वार्ड हकीकत नगर स्थित मान्यवर काशीराम सामुदायिक केन्द्र में मृत्युपरान्त किये जाने वाले संस्कार रस्म पगड़ी हेतु बुकिंग कराने का शुल्क रूपये 2,900 + 900 + 18% जी0 एस0 टी0 विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है, जबकि उक्त संस्कार केवल एक घण्टे का होता है, जिसके लिये इतना शुल्क लिया जाना यथोचित नहीं है ।

अतः रस्म पगड़ी क्रियाक्रम को कराने हेतु शुल्क घटाने का कष्ट करें ।

दिनांक:- 13-11-2018

भवदीय

अमित त्यागी